

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कंडिका 1; पृष्ठ 1)
राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े					
क्रम सं.	विवरण	आँकड़े			
1	क्षेत्रफल	94163 वर्ग कि.मी.			
2	जनसंख्या				
	अ 2001 के जनगणना के अनुसार	8.30 करोड़			
	ब 2011 के जनगणना के अनुसार	10.38 करोड़			
3	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	881 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी			
	ब जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी			
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 29.50 प्रतिशत)	41.30 प्रतिशत			
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	47.00 प्रतिशत			
	ब साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	61.80 प्रतिशत			
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 40 प्रति 1000 जन्म पर)	42			
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 67.50 वर्ष)	67.70 वर्ष			
8	गिन्नी गुणांक ¹				
	अ ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.29)	0.23			
	ब शहरी (संपूर्ण भारत = 0.38)	0.33			
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2014-15 के वर्तमान दर पर (₹ करोड़ में)	402283			
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ² सी.ए.जी.आर. ³ (2005-06 से 2014-15)	बिहार	16.40		
		सामान्य कोटि के राज्य	13.86		
11	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2005-06 से 2014-15)	बिहार	17.86		
		सामान्य कोटि के राज्य	15.44		
12	जनसंख्या वृद्धि (2005-06 से 2014-15)	बिहार	15.33		
		सामान्य कोटि के राज्य	12.76		
ब. वित्तीय आँकड़े					
क्रम सं.	विवरण	सी.ए.जी.आर. (आँकड़े प्रतिशत में)			
1		2005-06 से 2013-14		2013-14 से 2014-15	
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
	क राजस्व प्राप्तियों का	15.76	18.41	16.10	13.78
	ख अपने कर राजस्व का	15.32	4.55	10.51	3.96
	ग गैर कर राजस्व का	13.53	14.52	10.07	0.85
	घ कुल व्यय का	15.23	17.28	19.32	17.86
	ङ पूँजीगत व्यय का	14.61	26.88	21.87	29.64
	च शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.10	15.99	14.55	13.44
	छ स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	11.01	28.73	66.34
	ज वेतन एवं मजदूरी का	15.23	11.72	11.75	4.07
	झ पेंशन का	18.70	18.40	12.43	19.65

स्रोत: जी.एस.डी.पी., 31वीं जुलाई 2015 को सी.एस.ओ. बेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएँ, भारत की जनगणना 2011 एवं बिहार राज्य का परिचय, विशेषज्ञ समूह (रंगराजन) का निर्धनता के माप हेतु समीक्षा पद्धति का प्रतिवेदन, योजना आयोग (जून 2014), पृष्ठ 66, एचटीटीपी/योजना आयोग.निक.इन/डाटा/डाटाबेस/डाटा 2312/डाटाबुक दिसम्बर 2014%20106. पी.डी.एफ., सितंबर 2014 के एसआरएस बुलेटिन, आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15, तालिका 9.1 पृष्ठ ए 129, जनसंख्या प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की भारत और राज्यों 2001-2026 के लिए जनसंख्या का अनुमान (दिसंबर 2006 संशोधित) जनसंख्या प्रायोजना पर राष्ट्रीय आयोग जनसंख्या तालिका-14 द्वारा गठित तकनीकी समूह का प्रतिवेदन लिंग के अंधार पर कुल आबादी का प्रायोजित पहली अक्टूबर 2001-2026, बिहार सरकार में वित्त विभाग के वित्तीय आँकड़े पर आधारित आँकड़े)

¹ यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

² जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

³ सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक विकास दर।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)

भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

<p>सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा</p> <p>भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संचित निधि" कहा जाता है ।</p> <p>भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया करता है । तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।</p> <p>भाग III लोक लेखा : कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।</p>	
<p>परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा</p>	
<p>विवरणी</p>	<p>रूपरेखा</p>
<p>वित्त लेखा दो भागों में वितरित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है ।</p> <p>भाग I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र तेरह सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।</p>	
<p>विवरण संख्या 1</p>	<p>वित्तीय स्थिति का विवरण : यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलित करते हुए दर्शाता है ।</p>
<p>विवरण संख्या 2</p>	<p>प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूचि शामिल होता है । परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है ।</p>
<p>विवरण संख्या 3</p>	<p>प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) : इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है । यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।</p>
<p>विवरण संख्या 4</p>	<p>व्यय की विवरण (समेकित निधि) : वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यावहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी विस्तार वर्णन प्रदान करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है ।</p>
<p>विवरण संख्या 5</p>	<p>प्रणामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है ।</p>
<p>विवरण संख्या 6</p>	<p>उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं । 'अन्य दायित्वों' में 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि, 'आरक्षित निधि तथा 'जमा' सम्मिलित होते हैं । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होता है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है ।</p>

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण : यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे- सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है । परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है ।
विवरण संख्या 11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है ।
विवरण संख्या 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण : यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होना चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए ।
विवरण संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार : यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है । यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होता है ।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं- भाग- I में नौ विस्तृत विवरणियाँ तथा भाग II में तेरह परिशिष्टें ।	
विवरण संख्या 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है । प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं ।
विवरण संख्या 16	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा योजना) एवं गैर-योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है । पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाता है ।

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है । यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात् प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का ब्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करता है ।
विवरण संख्या 18	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण ईकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है । यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का ईकाई वार विवरण प्रस्तुत करता है । यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है । यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होता है ।
विवरण संख्या 22	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाता है ।

(स्रोत : वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट-1.3 भाग-क
(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 2)
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम)

(2010 का बिहार अधिनियम संख्या 25)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावना:—राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थे:—

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
(ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त को नियमित करें ।
2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-2 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप-धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा (ड) जोड़ी जायेगी:
(ड) “ऋण” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।
3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :
(अ) “राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा ” ।
4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (अ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
(ब) “वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह तीन प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा” ।
5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप-धारा 2 के खंड (अ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :
(स) “ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी” ।

परिशिष्ट 1.3 भाग-ख

(संदर्भ: कड़िका 1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (**परिशिष्ट 1.2 का भाग ख**) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रवृत्ति

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	203555	243269	293616 (पी)	343663 (क्यू)	402283 (ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	24.94	19.51	20.70	17.05	17.06

(स्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार)
पी-अंतिम, क्यू-त्वरित, ए-अग्रिम

कुछ चुने हुए शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं:

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (ब) के संदर्भ में प्राचल (अ) की उत्पलावकता	प्राचल (अ) की वृद्धि दर/ प्राचल (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व) / 2] * 100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष) / 2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटावे मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कडिका 1.1.1 एवं 1.6.2; पृष्ठ 2 एवं 16)
वर्ष 2014-15 की प्राप्तियाँ एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2013-14			2014-15	2013-14		2014-15			
						गैर योजना	योजना	योग	
		खण्ड: अ राजस्व							
68918.65	I	राजस्व प्राप्तियाँ	78417.54	62477.23	I	राजस्व व्यय	47058.87	25511.11	72569.98
19960.68		कर राजस्व	20750.23	22018.47		सामान्य सेवाएँ	26303.07	105.11	26408.18
1544.83		करेत्तर राजस्व	1557.98	26394.85		सामाजिक सेवाएँ	12019.55	19693.16	31712.71
34829.11		संघीय करों का राज्यांश	36963.07	14343.54		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	8444.13	7823.04	16267.17
3288.13		गैर योजना अनुदान	3271.21	2113.42		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1969.74	1318.46	3288.20
6238.39		राज्य योजना हेतु अनुदान	14935.68	2966.97		जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं शहरी विकास	722.47	2917.00	3639.47
3057.51		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	939.37	74.36		सूचना एवं प्रसारण	97.20	18.18	115.38
				2073.60		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	152.71	2151.79	2304.50
				111.13		श्रम एवं श्रम कल्याण	90.28	28.44	118.72
				4726.18		समाज कल्याण एवं पोषाहार	492.67	5434.57	5927.24
				(-) 14.34		अन्य	50.35	1.68	52.03
				14060.06		आर्थिक सेवाएँ	8732.21	5712.84	14445.05
				3193.27		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	772.17	2658.63	3430.80
				4059.78		ग्रामीण विकास	2109.86	1959.67	4069.53
						विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
				1039.03		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	881.58	138.40	1019.98
				3235.74		ऊर्जा	3752.95	20.00	3772.95
				580.24		उद्योग एवं खनिज	66.87	494.36	561.23
				1380.85		परिवहन	907.08	88.52	995.60

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2013-14		2014-15		2013-14		2014-15				
						गैर योजना	योजना	योग		
						विज्ञान, प्रावैधिकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	
				571.14		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	241.70	353.26	594.96	
				3.85		सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.04	0.00	4.04	
			78417.54		62477.23	कुल	47058.87	25511.11	72569.98	
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			6441.42	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष		5847.56	
68918.65		कुल	78417.54	68918.65		कुल			78417.54	
		खण्ड ब अन्य								
3715.58	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरंभिक रोकड़ शेष		6156.39		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			14001.00	IV	पूँजीगत परिव्यय	58.34	18092.07	18150.41
					1332.53		सामान्य सेवाएँ	47.11	1701.58	1748.69
					1857.89		सामाजिक सेवाएँ	11.57	1662.02	1673.59
					703.64		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	263.45	263.45
					460.17		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	315.77	315.77
					637.66		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	11.57	891.37	902.94
					(-)0.04		सूचना एवं प्रसारण	0.00	(-)0.08	(-)0.08
					6.07		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	(-) 20.63	(-) 20.63
					(-) 32.57		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	30.20	30.20
					82.96		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	181.94	181.94

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2013-14		2014-15		2013-14		2014-15			
						गैर योजना	योजना	योग	
					10810.59	आर्थिक सेवाएँ	(-) 0.34	14728.47	14728.13
					476.97	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.00	184.59	184.59
					1933.51	ग्रामीण विकास	0.00	4647.84	4647.84
						विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
					1798.91	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1423.95	1423.95
					1897.48	ऊर्जा	0.00	4175.10	4175.10
					535.00	उद्योग एवं खनिज	0.00	3.01	3.01
					4090.26	परिवहन	(-) 0.34	4198.39	4198.05
					78.46	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	95.59	95.59
15.03	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		1493.06	807.38	V ऋण एवं अग्रिमों का संवितरित	32.35	336.36	368.71
		विद्युत परियोजनाओं से			724.79	विद्युत परियोजनाओं हेतु	18.24	225.92	244.16
14.08		सरकारी सेवकों से	15.04		10.91	सरकारी सेवकों को	13.48	0.00	13.48
0.95		अन्य से	1478.02		71.68	अन्य से	0.63	110.44	111.07
6441.42	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		5847.56		VI राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
9907.09	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		13917.53	3119.56	VII लोक ऋण का पुनर्भुगतान			3608.95
		बाहरी ऋण				बाहरी ऋण			
9357.43		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	13199.28		2558.83	अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			2975.37
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन				अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन							
549.66		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	718.25		560.73	केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			633.58
शून्य		अंतर्राज्यीय समाशोधन	शून्य		शून्य	अंतर्राज्यीय समाशोधन			

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2013-14			2014-15	2013-14		2014-15		
						गैर योजना	योजना	योग
1450.43	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन	1650.00	1450.43	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		1650.00
	IX	आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण			IX	आकस्मिकता निधि से व्यय		
33457.78	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ	40251.12	29452.57	X	लोक लेखा संवितरण		39200.48
1072.30		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1103.76	1370.20		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1286.53	
823.48		आरक्षित निधि	1403.62	124.90		आरक्षित निधि	673.49	
579.05		उचंत एवं विविध	550.65	623.91		उचंत एवं विविध	2257.97	
12373.58		प्रेषण	12221.55	12392.59		प्रेषण	12233.53	
18609.37		जमा एवं अग्रिम	24971.54	14940.97		जमा एवं अग्रिम	22748.96	
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट		6156.39	XI	अंतिम रोकड़ शेष		6337.11
						कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
				230.03		रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 89.06	
				519.81		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	554.37	
				5406.55		रोकड़ शेष निवेश	5871.80	
54987.33		योग	69315.66	54987.33		योग		69315.66

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट-1.5
(संदर्भ: कडिका 1.1.3; पृष्ठ 3)
वर्ष 2014-15 के लिए बजट प्राक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य(+)/ घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	101939.46	78417.54	(-) 23521.92	(-) 23.07
अपने कर राजस्व	25662.95	20750.23	(-) 4912.72	(-) 19.14
करेत्तर राजस्व	3081.68	1557.98	(-) 1523.70	(-) 49.44
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	41775.05	36963.07	(-) 4811.98	(-) 11.52
भारत सरकार से सहायता अनुदान	31419.78	19146.26	(-) 12273.52	(-) 39.06
राजस्व व्यय	91765.43	72569.98	(-) 19195.45	(-) 20.92
सामान्य सेवाएँ	28155.44	26408.18	(-) 1747.26	(-) 6.21
राज्य का अंग	1261.89	1012.92	(-) 248.97	(-) 19.73
राजकोषीय सेवाएँ	981.57	698.35	(-) 283.22	(-) 28.85
ब्याज भुगतान और कर्ज परिशोधन	7011.47	7104.01	92.54	1.32
प्रशासनिक सेवाएँ	7234.18	6248.39	(-) 985.79	(-) 13.63
पेंशन और विविध सामान्य सेवाएँ	11666.33	11344.51	(-) 321.82	(-) 2.76
सामाजिक सेवाएँ	43617.60	31712.71	(-) 11904.89	(-) 27.29
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	23989.08	16267.17	(-) 7721.91	(-) 32.19
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	4084.70	3288.20	(-) 796.50	(-) 19.50
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	6498.73	3639.47	(-) 2859.26	(-) 44.00
सूचना और प्रसारण	95.43	115.38	19.95	20.91
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2625.89	2304.40	(-) 321.49	(-) 12.24
श्रम एवं श्रम कल्याण	231.13	118.73	(-) 112.40	(-) 48.63
समाज कल्याण और पोषाहार	6026.46	5927.23	(-) 99.23	(-) 1.65
अन्य	66.18	52.03	(-) 14.15	(-) 21.38
आर्थिक सेवाएँ	19988.27	14445.05	(-) 5543.22	(-) 27.73
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	4012.23	3430.80	(-) 581.43	(-) 14.49
ग्रामीण विकास	7438.44	4069.53	(-) 3368.91	(-) 45.29
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1459.97	1019.98	(-) 439.09	(-) 30.09
ऊर्जा	3071.41	3772.95	701.54	22.84
उद्योग और खनिज	976.09	561.23	(-) 414.86	(-) 42.50
परिवहन	1757.94	995.60	(-) 762.34	(-) 43.37
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1273.09	594.96	(-) 678.13	(-) 53.27
सहायता अनुदान और अंशदान	4.12	4.04	(-) 0.08	(-) 1.94
पूँजीगत व्यय	25120.74	18150.41	(-) 6970.33	(-) 27.75
सामान्य सेवाएँ	2297.29	1748.69	(-) 548.60	(-) 23.88
सामाजिक सेवाएँ	3519.71	1673.59	(-) 1846.12	(-) 52.45
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	1036.72	263.45	(-) 773.27	(-) 74.59
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	718.64	315.77	(-) 402.87	(-) 56.06
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	1447.95	902.94	(-) 545.01	(-) 37.64
सूचना और प्रसारण	0.00	(-) 0.08	(-) 0.08	
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	18.00	(-) 20.63	(-) 38.63	(-) 214.61
समाज कल्याण और पोषाहार	298.40	30.20	(-) 268.20	(-) 89.88
अन्य	0.00	181.94	181.94	
आर्थिक सेवाएँ	15334.35	14728.13	(-) 606.22	(-) 3.95
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	824.24	184.59	(-) 639.65	(-) 77.60
ग्रामीण विकास	5436.57	4647.84	(-) 788.73	(-) 14.51
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1927.83	1423.95	(-) 503.88	(-) 26.14
ऊर्जा	2890.00	4175.10	1285.10	44.47
उद्योग और खनिज	10.74	3.01	(-) 7.73	(-) 71.97
परिवहन	4022.44	4198.04	175.60	4.37
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	209.96	95.59	(-) 114.37	(-) 54.47
अन्य	12.57	0.00	(-) 12.57	(-) 100.00
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	(-) 10174.03	5847.56	16021.59	(-) 157.48
राजकोषीय घाटा (-)	11367.84	11178.50	(-) 189.34	(-) 1.67
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	4786.38	5049.75	263.37	5.50

(स्रोत: बिहार सरकार का बजट प्राक्कलन एवं वित्त लेख, वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट-1.6
(संदर्भ: कडिका 1.2.2; पृष्ठ 8)
राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधि का सीधा स्थानांतरण

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अधिकरण	2013-14	2014-15
		के द्वांश	के द्वांश
शैक्षणिक संस्थानों एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	वैशाली जन जागरण समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
ज्ञान अभिवृद्धि हेतु तकनीकी विकास तथा प्रसार (ए2 के+)	उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
संधि तथा अनुसंधान एवं विकास मिशन	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.02
अभिलेखागार तथा अभिलेखीय पुस्तकालय	खुदाबख्शा ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.38
आतिथ्य प्रबंधन एवं विज्ञान संस्थान (आई.एच. एम.एस.), खाद्य शिल्प संस्थानों (एफ.सी.आई.एस.) इत्यादि को सहायता	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.28
सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	अल्पसंख्यक एवं हरिजन समाज कल्याण केंद्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.12
	एकता ग्राम सेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
	जागरण {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.12
	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	केदार पांडेय समाज कल्याण संघ {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.09
	ग्राम उत्थान केंद्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
	पर्यावरण परामर्श विकास केंद्र {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	बिहार विकास परिषद {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.04
वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता	सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.03
	एकता ग्राम सेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
वायुमंडलीय निरीक्षण प्रणाली नेटवर्क	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.16
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.04
जागरूकता उत्थान एवं प्रचार	विवेक विकलांग सह-जन उत्थान संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.04
बाबा साहेब अम्बेदकर हस्तशिल्प विकास योजना	अम्बपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
जैव सूचना विज्ञान	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.16
सामाजिक उत्थान हेतु जैव तकनीकी	खडगधारी ग्रामीण विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.21
	तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.05
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.09
बौद्ध तथा तिब्बती अध्ययन	नव नालन्दा महाविहार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	17.61
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.79
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.13
तस्करी के विरुद्ध व्यापक योजना	भारतीय ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.07

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अधिकरण	2013-14	2014-15
		केंद्रांश	केंद्रांश
दीन दयाल अशक्त पुनर्वास योजना (एस.जे.ई.)	ज्ञान सरोवर {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.19
	बाबा गरीबनाथ विकलांग-सह-जनसेवा संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.15
	बाबा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.13
	बिहार विकलांग कल्याण परिषद {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.07
निरूपण एवं तकनीकी उन्नयन योजना	भारत बुनकर सेवा समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	अम्बपाली हस्तकरधा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
	तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.05
विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए दिशा कार्यक्रम	ब्रज मोहन दास महाविद्यालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06
	पटना विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.18
	अनुग्रह नारायण महाविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.01
	मगध महिला महाविद्यालय (राज्य सरकार संस्थान)	0.00	0.06
जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (डी.आर.डी.ए.) प्रशासन	जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	21.22	0.00
पर्यावरणीय सूचना शिक्षा एवं जागरूकता	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06
पर्यावरण सूचना प्रणाली (ई.एन.वा.आई.एस.)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.06	0.00
अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना (सी.एस.)	मिल्लत कल्याण न्यास (नालन्दा असैनिक सेवा अकादमी) (न्यास)	0.00	0.08
अनुसूचित जातियों तकनीकी के छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण हेतु सहायता (सी.एस.)	सीमांचल तकनीकी तथा शैक्षणिक विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.81
उच्च शिक्षा सांख्यिकी एवं जन सूचना प्रणाली (एच.ई.एस.पी.आई.एस.)	राज्य नोडल पदाधिकारी, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (ए.आई.एस.एच.इ.) (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.11
अस्पताल एवं औषधालय (एन.आर.एच.एम. अंतर्गत)	राज्य स्वास्थ्य समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	778.60	0.00
जैव तकनीकी हेतु मानव संसाधन विकास	तिलका मांडी भागलपुर विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.00
	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.07
हस्तशिल्प हेतु मानव संसाधन विकास	मानस ग्रामीण उत्थान समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.01
	भारत बुनकर सेवा समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.02
	तपेश्वर राय ग्रामोद्योग विकास संस्थान {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.06
	अम्बपाली हस्तकरधा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति {पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)}	0.00	0.08
संरचना विकास एवं क्षमता निर्माण	उद्योग मित्र (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.21
कृषि जनगणना एवं सांख्यिकी की समेकित योजना	कृषि-आर्थिक अनुसंधान केंद्र, तिलका मांडी भागलपुर विश्वविद्यालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.30
	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.50
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	16.78	0.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.17

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14	2014-15
		केंद्रांश	केंद्रांश
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	1580.71	0.00
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	7.06	0.00
विपणन समर्थन एवं सेवाएँ तथा निर्यात प्रोत्साहन योजना	शिल्पीका { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.02
	समाज विकास संगठन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.03
	कस्तुरबा महिला विकास कल्याण समिति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.05
बाजार विकास सहायता कार्यक्रम (एम.डी.ए.)	लॉरेन्स इंटरप्राइजेज (वैयक्तिक)	0.00	0.00
	नेचुरल्स डेरी (प्रा.) लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.00
	श्री श्री-शंभुनाथ फुड प्रोडक्ट्स (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	बिजय रोलर फ्लावर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	रेनोविजन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.00
स्मारक तथा अन्य	नव नालन्दा महाविहार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2.25	0.00
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला योजना पदाधिकारी (स्थानीय निकाय)	326.50	246.50
राष्ट्रीय वानिकी योजनाएँ	बिहार वन विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	12.84	0.00
स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	5.06	10.72
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं प्रसार (सरकारी स्वायत्त निकाय)	15.22	0.00
राष्ट्रीय हरित पट्टी (एन.जी.सी.)	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2.30	0.00
राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम (सी.एस.)	बिहार राज्य भेड़ तथा ऊन बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.13
	बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.06
राष्ट्रीय बागवानी मिशन (पुनर्गठित)	बिहार बागवानी विकास समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	20.00	0.05
राष्ट्रीय औषधीय पौधा परिषद	अंबपाली हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विकास स्वावलंबी सहयोग समिति लिमिटेड { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.03
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	बिहार राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	338.95	0.00
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केंद्रीय क्षेत्र	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.72	0.00
राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) केंद्रीय क्षेत्र	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.67
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) केंद्रीय क्षेत्र घटक	जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	1.85
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर (एन.आइ.पी.ई.आर.)	राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	4.00
ऑफ ग्रीडस डी.आर.पी.एस.	सिद्धी रिफॉएल एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.40
	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	3.64	6.15
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	725.71	0.00
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	82.00
कला एवं संस्कृति का प्रोत्साहन एवं प्रचार	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	1.58	0.00

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अधिकरण	2013-14	2014-15
		केंद्रांश	केंद्रांश
अशक्तों के बीच खेल का प्रोत्साहन	उमंग बाल विकास { (पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन))	0.00	0.03
	बिहार अशक्त खेल अकादमी { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.03
	बाल प्रतिष्ठान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.03
	विकलांग सम्मान संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.03
सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर निर्माण को प्रोत्साहन (डी.आई.टी.)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.34
सरकार में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रसार	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (सरकारी संस्थान)	0.00	0.09
सार्वजनिक पुस्तकालय	खुदाबख्श ओरिएण्टल सार्वजनिक पुस्तकालय (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	1.89
तकनीकी सहयोग संस्थानों एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता	आकाशदीप पाइप एण्ड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	शिवा पॉलीटेक प्रोपर्टी लिमिटेड (निजी क्षेत्र की कंपनियाँ)	0.00	0.01
	मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज (व्यक्तिगत)	0.00	0.01
संतुलित संवितरण योजना	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.35	0.00
	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.05	0.00
	विक्रमशिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.05	0.00
सभी गाँवों में ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु अपारम्परिक ऊर्जा	बिहार अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण (सरकारी लोक उपक्रम)	0.00	0.18
शोध एवं विकास (हस्तशिल्प)	अम्बपाली हस्तकरधा एवं हस्तशिल्प बहु राज्य सहयोग समिति { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.02
जैव तकनीकी शोध एवं विकास विभाग	बिहार कृषि विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.28
	पटना विश्वविद्यालय (सांविधिक निकाय)	0.00	0.05
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र (केंद्र सरकार)	0.00	0.03
	बालाजी उत्थान संस्थान { (पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन))	0.00	0.09
ग्रामीण आवास इन्दिरा आवास योजना	जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2957.04	0.00
सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (सरकारी स्वायत्त निकाय)	2610.13	0.00
मानव संसाधन एवं दक्षता विकास योजना (एफ.पी.आई.)	कृषि विज्ञान केंद्र (केंद्र सरकार)	0.00	0.02
	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.02
अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना (सी.एस.)	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.64
तकनीकी उन्नयन/स्थापना/खाद्य प्रसंस्करण आधुनिकीकरण की योजना	निजी क्षेत्र की कंपनियाँ	0.00	0.64
कला संस्कृति तथा शताब्दी समारोह की योजना (अन्य मिशन योजनाएं)	रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.75
निःशक्त व्यक्तियों के लिए लागू योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्पन्न योजना (सामाजिक न्याय सशक्तीकरण)	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.06
	समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सी.आर.सी.) (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	4.72
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	सरकारी संस्थान	0.51	0.04
	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	0.40
	महावीर कैंसर संस्थान (न्यास)	0.00	0.00
कौशल विकास पहल (सी.एस.)	विवेकानंद पर्यावरण एवं आरोग्य मिशन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.42

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाले अभिकरण	2013-14	2014-15
		केंद्रांश	केंद्रांश
राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.32
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), पटना को सहयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	206.97
गनी खान संस्थान सहित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) को सहयोग	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	46.00
गैर सरकारी संगठनों/संस्थानों/राज्य संसाधन केंद्रों को प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु सहायता	राज्य संसाधन केंद्र दीपायतन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	6.54	0.50
	आद्री राज्य संसाधन केंद्र दीपायतन { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	0.42
	जन शिक्षण संस्थान { पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन) }	0.00	2.40
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (सरकारी स्वायत्त निकाय)	30.61	0.00
सिनर्जी प्रोजेक्ट सीटीएस (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.07
प्रौद्योगिकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (वर्तमान एवं नया चरण)	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	5.00
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	सांविधिक निकाय	0.00	0.02
अनुसूचित जातियों के लिए उत्तम दर्जा शिक्षा योजना	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.14
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.11
	होटल प्रबंधन संस्थान खान-पान एवं पोषाहार, हाजीपुर (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.05
अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छतरी योजना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.04
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय)	0.00	0.11
युवा छात्रावास	वैयक्तिक	0.00	0.01
आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र	पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संगठन)	0.00	1.60
	वैयक्तिक	0.00	0.19
	योग	9464.50	651.74

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट- 1.7

(संदर्भ: कडिका 1.3 एवं 1.3.1.1; पृष्ठ 8 एवं 11)

राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	44532	51320	59567	68919	78417
(i) कर राजस्व	9870 (22)	12612 (25)	16253(27)	19961 (29)	20750(26)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	4557 (46)	7476 (59)	8671(53)	8453(42)	8607 (41)
राज्य उत्पाद	1523 (16)	1981 (16)	2430(15)	3168(16)	3217 (16)
वाहन पर कर	456 (5)	569 (4)	673(4)	837(4)	964(5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	1099 (11)	1480 (12)	2173(14)	2712(14)	2699(13)
भू-राजस्व	139 (1)	168 (1)	205(1)	202(1)	277(1)
माल एवं यात्री कर	2006 (20)	828 (7)	1932(12)	4349(22)	4451(21)
अन्य कर	90 (1)	110 (1)	169(1)	240(1)	535(3)
(ii) करेतर राजस्व	985 (2)	890 (2)	1135(2)	1545(2)	1558(2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	23978(54)	27935 (54)	31901(54)	34829(51)	36963(47)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	9699 (22)	9883 (19)	10278(17)	12584(18)	19146(24)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	12	23	25	15	1493
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	44544	51343	59592	68934	79910
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	6032	6628	9554	9907	13917
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5251	5801	9046	9357	13199
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	781	827	508	550	718
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन		75	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	50576	58046	69146	78841	93827
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	17321	22303	27066	33458	40251
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	67897	80349	96212	112299	134078
खंड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	38216	46499	54466	62477	72570
योजना	10900 (29)	12487 (27)	16892(31)	19096(31)	25511(35)
गैर-योजना	27316 (71)	34012 (73)	37574(69)	43381(69)	47059(65)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	15287(40)	17729(38)	18645(34)	22018(35)	26408(36)
सामाजिक सेवाएँ	15090 (39)	18729 (40)	23107(43)	26395(42)	31713(44)
आर्थिक सेवाएँ	7836 (21)	10038 (22)	12710(23)	14060(23)	14445(20)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3	3	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	9196	8852	9585	14001	18150
योजना	9150 (99)	8812 (99)	9492(99)	13904(99)	18092(99)
गैर-योजना	46 (1)	40 (1)	93(1)	97(1)	58(1)
सामान्य सेवाएँ	396 (4)	608 (7)	717(7)	1333(10)	1748(10)
सामाजिक सेवाएँ	1072 (12)	807 (9)	1331(14)	1858(13)	1674(9)
आर्थिक सेवाएँ	7728 (84)	7437 (84)	7537(79)	10810(77)	14728(81)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	1103	1906	2086	807	369
14. कुल (11+12+13)	48515	57257	66137	77285	91089
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	2190	2922	3070	3120	3609
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1725	2457	2585	2559	2975
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	465	465	485	561	634
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	2	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	50705	60181	69207	80405	94698
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	16749	21393	24799	29453	39200
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	67454	81574	94006	109858	133898
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	6316	4821	5101	6442	5847
23. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(-3971)	(-5914)	(-6545)	(-8351)	(-11179)
24. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	348	(-1610)	(-2117)	(-2892)	(-5050)
खंड द अन्य आँकड़े					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	4319	4304	4428	5459	6129
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	4622	14444	17454	18935	22359
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) [@]	203555	243269	293616	343663	402283
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	62858	67812	76503	86939	99056
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	588	1092	1089	1090	2001
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्ष के अंत में)	1549	2049	2046	2587	5315
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	350	380	298	227	211
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1005	1579	1488	1274	1301
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.048	0.052	0.055	0.058	0.052
निजी करेतर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
केंद्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.118	0.115	0.109	0.101	0.092
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.201	0.199	0.195	0.192	0.226
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.089	1.116	1.110	1.121	1.162
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.787	0.812	0.824	0.808	0.797
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.333	0.341	0.370	0.366	0.309
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.343	0.338	0.306	0.322	0.320
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.189	0.155	0.145	0.181	0.199
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.181	0.144	0.134	0.164	0.180
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.020	0.017	0.019	0.015
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-0.020)	(-0.024)	(-0.022)	(-0.024)	(-0.028)
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.002	(-0.007)	(-0.007)	(-0.008)	(-0.013)
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-1.591)	(-0.815)	(-0.779)	(-0.771)	(-0.523)
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.309	0.279	0.261	0.253	0.246
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	1.412	1.321	1.284	1.261	1.263
राजकोषीय दायित्व/राज्य का अपना संसाधन	5.791	5.022	4.400	4.043	4.440

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनाई गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट- 1.8

(संदर्भ: कडिका 1.9.1; पृष्ठ 24)

31 मार्च 2015 को बिहार सरकार के वित्तीय स्थिति का सार

(₹ करोड़ में)

31/3/2014 तक	देयताएँ		31/3/2015 तक
55624.10	आंतरिक ऋण		65848.02
	ब्याज वाले बाजार ऋण	37950.86	
	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.21	
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55	
	अन्य संस्थाओं से ऋण	27875.40	
8637.79	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		8722.45
	1984-85 से पूर्व ऋण	3.91	
	गैर-योजना ऋण	55.68	
	राज्य योजना के लिए ऋण	8618.36	
	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	1.01	
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	0.53	
	अर्थोपाय योजनाओं के लिए मद	42.96	
350.00	आकस्मिकता निधि		350.00
9047.85	लघु बचत, भविष्य निधि आदि		8865.08
11548.35	जमा		13784.38
3448.76	आरक्षित निधि		4178.89
74.01	अंतर्राज्यीय समाशोधन		74.01
27787.35	सरकारी लेखा में आधिक्य		33634.91
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	5847.56	
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	27787.35	
116518.21			135457.74
	परिसम्पत्तियाँ		
85885.39	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		104035.80
	कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	7068.79	
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	96967.01	
21379.36	ऋण एवं अग्रिम		20255.00
	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	15305.09	
	अन्य विकास ऋण	4878.76	
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	71.15	
1180.67	प्रेषण		1192.65
130.57	अग्रिम		144.02
1785.83	उचंत और विविध शेष		3493.16
6156.39	रोकड़		6337.11
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
	रिजर्व बैंक में जमा	(-) 89.06	
	विभागीय रोकड़ शेष	210.56	
	स्थायी अग्रिम	343.81	
	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	5871.80	
116518.21			135457.74

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट- 2.1

(संदर्भ:कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 37)

₹ 10 करोड़ एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	3655.89	2031.21	1624.68	44.44
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	658.91	447.31	211.60	32.11
3	3	भवन निर्माण विभाग	3328.44	1516.50	1811.94	54.44
4	7	निगरानी विभाग	39.27	29.04	10.23	26.05
5	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	99.98	64.72	35.26	35.27
6	9	सहकारिता विभाग	994.12	689.29	304.83	30.66
7	10	ऊर्जा विभाग	11551.95	8202.66	3349.29	28.99
8	12	वित्त विभाग	3355.83	1140.32	2215.51	66.02
9	16	पंचायती राज विभाग	4809.51	2374.77	2434.74	50.62
10	17	वाणिज्य-कर विभाग	134.72	95.89	38.83	28.82
11	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1149.83	646.54	503.29	43.77
12	20	स्वास्थ्य विभाग	5296.29	3642.02	1654.27	31.23
13	21	शिक्षा विभाग	25933.64	16576.84	9356.80	36.08
14	23	उद्योग विभाग	1445.92	496.38	949.54	65.67
15	24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	206.26	115.83	90.43	43.84
16	25	सूचना प्रावधिकी विभाग	225.64	47.04	178.60	79.15
17	26	श्रम संसाधन विभाग	472.03	222.64	249.39	52.83
18	27	विधि विभाग	673.21	494.12	179.09	26.60
19	28	उच्च न्यायालय, बिहार	129.00	81.41	47.59	36.89
20	33	सामान्य प्रशासन विभाग	547.83	374.30	173.53	31.68
21	35	योजना एवं विकास विभाग	3712.69	1818.61	1894.08	51.02
22	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1908.20	1205.53	702.67	36.82
23	37	ग्रामीण कार्य विभाग	5727.28	4284.14	1443.14	25.20
24	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	145.23	102.39	42.84	29.50
25	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1116.60	454.57	662.03	59.29
26	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	738.19	498.82	239.37	32.43
27	42	ग्रामीण विकास विभाग	6755.84	3135.91	3619.93	53.58
28	43	विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग	154.05	85.14	68.91	44.73
29	45	गन्ना उद्योग विभाग	422.69	85.46	337.23	79.78
30	46	पर्यटन विभाग	165.20	86.16	79.04	47.85
31	47	परिवहन विभाग	60.00	44.74	15.26	25.43
32	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	3301.59	1778.46	1523.13	46.13
33	49	जल संसाधन विभाग	3466.70	2013.78	1452.92	41.91
34	50	लघु जल संसाधन विभाग	1013.71	457.29	556.42	54.89
35	51	समाज कल्याण विभाग	7418.36	4902.49	2515.87	33.91
योग			100814.60	60242.32	40572.28	40.24

(स्रोत: राज्य का विनियोग लेखा, वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट- 2.1(क)

(संदर्भ:कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 37)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्व							
1	1-कृषि विभाग	2800.95	806.09	3607.04	2016.16	1590.88	44.10
2	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	531.13	127.78	658.91	447.31	211.60	32.11
3	9-सहकारिता विभाग	415.26	418.27	833.53	565.55	267.98	32.15
4	10-ऊर्जा विभाग	3099.00	1710.61	4809.61	3783.39	1026.22	21.34
5	12-वित्त विभाग	273.97	2.60	276.57	151.58	124.99	45.19
6	12-वित्त विभाग (भारित)	430.01	975.25	1405.26	975.26	430.00	30.60
7	16-पंचायती राज विभाग	4225.32	483.69	4709.01	2374.77	2334.24	49.57
8	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	796.86	352.97	1149.83	646.54	503.29	43.77
9	20-स्वास्थ्य विभाग	4100.54	131.56	4232.10	3317.99	914.11	21.60
10	21-शिक्षा विभाग	23703.68	1166.45	24870.13	16335.41	8534.72	34.32
11	23-उद्योग विभाग	807.83	624.59	1432.42	496.37	936.05	65.35
12	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	192.25	23.39	215.64	43.04	172.60	80.04
13	26-श्रम संसाधन विभाग	334.51	132.82	467.33	219.32	248.01	53.07
14	27-विधि विभाग	659.33	13.88	673.21	494.12	179.09	26.60
15	33-सामान्य प्रशासन विभाग	412.26	131.19	543.45	370.79	172.66	31.77
16	35-योजना एवं विकास विभाग	1129.82	26.75	1156.57	615.79	540.78	46.76
17	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	417.90	3.47	421.37	320.27	101.10	23.99
18	37-ग्रामीण कार्य विभाग	1121.95	0.00	1121.95	282.02	839.93	74.86
19	39-आपदा प्रबंधन विभाग	910.73	205.47	1116.20	454.37	661.83	59.29
20	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.81	4.61	706.42	482.28	224.14	31.73
21	41-पथ निर्माण विभाग	902.40	356.35	1258.75	899.10	359.65	28.57
22	42-ग्रामीण विकास विभाग	6725.84	0.00	6725.84	3126.42	3599.42	53.52
23	45-गन्ना उद्योग विभाग	118.00	137.07	255.07	84.83	170.24	66.74

परिशिष्ट

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2419.94	880.65	3300.59	1778.46	1522.13	46.12
25	50-लघु जल संसाधन विभाग	651.67	0.25	651.92	276.50	375.42	57.59
26	51-समाज कल्याण विभाग	4630.64	2787.22	7417.86	4902.49	2515.37	33.91
कुल राजस्व		62513.60	11502.98	74016.58	45460.13	28556.45	38.58
पूँजीगत							
27	3-भवन निर्माण विभाग	2192.32	650.32	2842.64	1122.85	1719.79	60.50
28	10-ऊर्जा विभाग	3255.97	3486.37	6742.34	4419.27	2323.07	34.45
29	12-वित्त विभाग	24.00	1650.00	1674.00	13.48	1660.52	99.19
30	16-पंचायती राज विभाग	100.50	0.00	100.50	0.00	100.50	100.00
31	20-स्वास्थ्य विभाग	705.19	359.00	1064.19	324.03	740.16	69.55
32	21-शिक्षा विभाग	1011.51	52.00	1063.51	241.43	822.08	77.30
33	22-गृह विभाग	540.96	94.21	635.17	490.56	144.61	22.77
34	35-योजना एवं विकास विभाग	1655.68	900.44	2556.12	1202.82	1353.30	52.94
35	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1376.83	110.00	1486.83	885.26	601.57	40.46
36	45-गन्ना उद्योग विभाग	0.63	166.99	167.62	0.63	166.99	99.62
37	49-जल संसाधन विभाग	1679.00	832.50	2511.50	1248.88	1262.62	50.27
38	50-लघु जल संसाधन विभाग	248.83	112.96	361.79	180.79	181.00	50.03
कुल पूँजीगत		12791.42	8414.79	21206.21	10130.00	11076.21	52.23
महायोग		75305.02	19917.77	95222.79	55590.13	39632.66	41.62

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2014-15)

परिशिष्ट- 2.2

(संदर्भ:कडिका 2.3.2; पृष्ठ 38)

वर्ष 2010-15 के दौरान सतत् बचत सूचित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	राशि एवं बचत की प्रतिशतता									
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
राजस्व-दत्तमत											
		राशि	प्रतिश- तता	राशि	प्रतिश- तता	राशि	प्रतिश- तता	राशि	प्रतिश- तता	राशि	प्रतिश- तता
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31	607.69	62.55	211.60	32.11
2	12-वित्त विभाग	55.64	13.46	122.72	43.27	223.31	31.97	106.32	27.48	124.99	45.19
3	20-स्वास्थ्य विभाग	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26	623.24	22.30	914.11	21.60
4	27-विधि विभाग	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11	141.61	22.78	179.09	26.60
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96	132.67	21.20	224.14	31.73
6	41-पथ निर्माण विभाग	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45	413.22	32.96	359.65	28.57
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99	668.14	66.10	375.42	57.59
योग		1266.20		1571.19		1645.54		2692.89		2389.00	
पूँजीगत-दत्तमत											
8	3-भवन निर्माण विभाग	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33	659.52	40.88	1719.79	60.50
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66	97.55	13.62	601.57	40.46
10	49-जल संसाधन विभाग	1722.91	56.81	625.86	25.65	672.73	27.47	1853.56	53.61	1262.62	50.27
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	181.26	75.96	110.50	42.42	127.24	43.26	108.10	35.51	181.00	50.03
योग		2239.31		1166.43		1787.51		2718.73		3764.98	
महायोग		3505.51		2737.62		3433.05		5411.62		6153.98	

(स्रोत: राज्य के विनियोग लेखा, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.3

(संदर्भ: कड़िका 2.3.3; पृष्ठ 39)

विगत वर्षों में प्रावधान से आधिक्य जिसके नियमन की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1977-78	1	24	0.06
2	1978-79	1	27	0.32
3	1981-82	2	3, 13	5.12
4	1982-83	1	22	0.98
5	1983-84	1	12	9.45
6	1984-85	2	3,14	2.63
7	1986-87	1	13	65.63
8	1987-88	3	9, 19, 38	15.53
9	1988-89	2	9, 38	6.59
10	1989-90	3	25, 27, 38	99.40
11	1990-91	2	37, 38	47.55
12	1991-92	2	6, 38	71.24
13	1992-93	1	38	87.77
14	1993-94	2	25, 37	157.68
15	1994-95	1	37	170.61
16	1995-96	2	25, 37	213.22
17	1996-97	2	23, 37	21.16
18	1997-98	1	7	0.01
19	1998-99	1	30	0.33
20	1999-00	1	40	0.01
21	2003-04	3	11, 30, 50	81.23
22	2004-05	2	20, 21	5.57
23	2005-06	1	40	0.02
24	2010-11	1	5	0.35
योग				1062.46

(स्रोत: लोक लेखा समिति अनुभाग से प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5, पृष्ठ 39)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ. राजस्व (भारित)					
1	5-राज्यपाल सचिवालय	10.00	8.79	1.21	0.68
2	13-सूद भुगतान	6581.46	6128.75	452.71	4.05
3	28-उच्च न्यायालय, बिहार	127.02	81.41	45.61	1.98
योग भारित		6718.48	6218.95	499.53	6.71
अ. राजस्व (दत्तमत)					
4	1-कृषि विभाग	2800.95	2016.16	784.79	806.09
5	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	531.13	447.31	83.82	127.78
6	3-भवन निर्माण विभाग	473.68	393.65	80.03	12.12
7	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	131.25	104.84	26.41	15.14
8	7-निगरानी विभाग	31.07	29.04	2.03	8.20
9	8-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	93.77	64.72	29.05	6.21
10	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1469.79	1444.68	25.11	16.29
11	12-वित्त विभाग	273.97	151.58	122.39	2.60
12	15-पेंशन	11655.25	11348.90	306.35	0.12
13	16-पंचायती राज विभाग	4225.32	2374.77	1850.55	483.69
14	17-वाणिज्य-कर विभाग	113.76	95.89	17.87	20.96
15	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	796.86	646.54	150.32	352.97
16	20-स्वास्थ्य विभाग	4100.54	3317.99	782.55	131.56
17	21-शिक्षा विभाग	23703.68	16335.41	7368.27	1166.45
18	22-गृह विभाग	5820.78	5195.79	624.99	377.62
19	23-उद्योग विभाग	807.83	496.37	311.46	624.59
20	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	192.25	43.04	149.21	23.39
21	26-श्रम संसाधन विभाग	334.51	219.32	115.19	132.82
22	27-विधि विभाग	659.33	494.12	165.21	13.88
23	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	83.45	70.58	12.87	5.42
24	33-सामान्य प्रशासन विभाग	412.26	370.79	41.47	131.19
25	35-योजना एवं विकास विभाग	1129.82	615.79	514.03	26.75
26	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	417.90	320.27	97.63	3.47
27	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	144.98	102.39	42.59	0.25
28	39-आपदा प्रबंधन विभाग	910.73	454.37	456.36	205.47
29	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	701.81	482.28	219.53	4.61
30	41-पथ निर्माण विभाग	902.40	899.10	3.30	356.35
31	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	114.12	62.38	51.74	1.72
32	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1158.54	942.33	216.21	11.18
33	45-गन्ना उद्योग विभाग	118.00	84.83	33.17	137.07
34	47-परिवहन विभाग	48.00	41.94	6.06	5.00
35	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2419.94	1778.46	641.48	880.65
36	49-जल संसाधन विभाग	826.20	764.90	61.30	129.00
37	50-लघु जल संसाधन विभाग	651.67	276.50	375.17	0.25
योग दत्तमत		68255.54	52487.03	15768.51	6220.86
योग राजस्व		74974.02	58705.98	16268.04	6227.57

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ब. पूँजीगत (दत्तमत)					
38	1-कृषि विभाग	25.85	15.05	10.80	23.00
39	3-भवन निर्माण विभाग	2192.32	1122.85	1069.47	650.32
40	12-वित्त विभाग	24.00	13.48	10.52	1650.00
41	20-स्वास्थ्य विभाग	705.19	324.03	381.16	359.00
42	21-शिक्षा विभाग	1011.51	241.43	770.08	52.00
43	22-गृह विभाग	540.96	490.56	50.40	94.21
44	35-योजना एवं विकास विभाग	1655.68	1202.82	452.86	900.44
45	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1376.83	885.26	491.57	110.00
46	37-ग्रामीण कार्य विभाग	4170.91	4002.12	168.79	434.42
47	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	31.27	16.54	14.73	0.50
48	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	23.21	22.76	0.45	15.00
49	45-गन्ना उद्योग विभाग	0.63	0.63	0.00	166.99
50	49-जल संसाधन विभाग	1679.00	1248.88	430.12	832.50
51	50-लघु जल संसाधन विभाग	248.83	180.79	68.04	112.96
योग पूँजीगत		13686.19	9767.20	3918.99	5401.34
महायोग		88660.21	68473.18	20187.03	11628.91

(स्रोत: राज्य का विनियोग लेखा, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.5
(संदर्भ:कडिका 2.3.6; पृष्ठ 39)
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-001-0001-निदेशन	9.10	0.43	8.54	0.27	0.72
2		2401-00-108-0320-राष्ट्रीय तिलहन तथा पाम ऑयल मिशन	6.30	0.68	0.97	5.20	0.81
3		2401-00-789-0128-वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	4.48	0.64	0.64	4.33	0.15
4		2402-00-789-0101-भूमि संरक्षण कार्य	4.04	0.50	2.16	0.00	2.38
5		2415-01-004-0006-मिट्टी जाँच एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की योजना	5.18	0.35	5.02	0.26	0.25
6		2415-01-277-0005-राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	92.40	5.26	92.42	0.00	5.24
7	2	2403-00-101-0004-पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान	0.62	0.25	0.84	0.02	0.01
8		2405-00-001-0101-मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	1.43	0.42	0.59	1.16	0.10
9	3	2059-80-001-0001-निदेशन	15.43	0.93	14.37	1.97	0.02
10		2059-80-001-0011-उद्यान (स्थापना)	20.71	0.10	19.56	1.19	0.06
11	6	2015-00-102-0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	22.16	1.76	17.88	5.63	0.41
12		2015-00-106-0001-राज्य विधान-सभा निर्वाचन	3.77	7.60	8.78	2.49	0.10
13	9	2425-00-001-0001-निदेशन	3.79	0.06	3.66	0.08	0.11
14	12	2054-00-095-0002-भविष्य निधि लेखा का संधारण	18.39	1.83	14.40	5.58	0.24
15	13	2049-04-101-0002-1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्जे से ब्याज	74.55	36.60	109.09	0.00	2.06
16		2049-60-701-0005-विलंबित सभी तरह के पेंशन (पारिवारिक पेंशन सहित) और मृत्यु-सह-निवृत्ति उपादान के बकाये राशि पर ब्याज	0.10	0.10	0.14	0.00	0.06
17	16	2515-00-001-0003-जिला पंचायत की स्थापना	232.95	1.00	168.64	49.20	16.11
18		2515-00-003-0001-पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	2.85	0.18	2.29	0.55	0.19
19		3451-00-090-0028- पंचायती राज विभाग	1.19	0.08	0.97	0.24	0.06
20	18	3456-00-001-0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	15.25	0.02	9.48	0.00	5.79
21	19	2406-01-003-0001-प्रशिक्षण, जनसंपर्क एवं शोध	1.78	0.10	1.59	0.23	0.06
22		2406-01-800-0105-पथ तट फार्म	37.25	4.68	38.95	2.97	0.01

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
23	20	2210-01-110-0002-दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	62.89	4.82	56.09	0.00	11.62	
24		2210-01-110-0006-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	28.17	2.90	29.69	0.00	1.38	
25		2210-01-110-0010-इन्दिरा गाँधी हृदयरोग संस्थान, पटना	28.29	0.75	20.48	0.00	8.56	
26		2210-03-110-0001-लोक स्वास्थ्य केन्द्र	84.61	1.15	63.14	21.89	0.73	
27		2210-05-105-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज	48.75	8.66	51.37	0.00	6.04	
28		2210-05-105-0007-मगध मेडिकल कॉलेज	18.98	5.21	22.63	0.00	1.56	
29		2210-05-105-0008-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	21.70	1.67	20.54	0.00	2.83	
30		2210-05-105-0022-वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईंस, पावापुरी	8.16	7.41	8.74	0.00	6.83	
31		2210-05-105-0023-राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	13.18	4.82	11.15	0.00	6.85	
32		2210-06-001-0001-अधीक्षण	7.36	0.03	6.00	1.24	0.15	
33		2210-06-003-0002-लोक स्वास्थ्य संस्थायें	15.55	0.04	7.89	0.00	7.70	
34		2210-06-107-0001-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	3.79	1.06	3.64	0.95	0.26	
35		2210-06-113-0001-प्रशिक्षण एवं प्रसार अभियान	0.56	0.02	0.54	0.02	0.02	
36		2211-00-101-0205- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	335.34	2.00	288.75	0.00	48.59	
37		2251-00-090-0007-स्वास्थ्य विभाग	3.82	0.12	3.02	0.67	0.25	
38		21	2202-01-001-0001-प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय	3.70	0.14	2.93	0.00	0.91
39			2202-01-102-0001-गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	25.00	6.04	20.89	0.00	10.15
40			2202-01-104-0001-निरीक्षण	118.82	9.49	97.81	0.00	30.50
41			2202-01-107-0001-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	40.32	4.00	35.44	0.00	8.88
42			2202-01-109-0103-मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	28.73	29.72	17.29	0.00	41.16
43	2202-01-111-0101-सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)		1.50	48.59	25.41	0.00	24.68	
44	2202-02-001-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी		30.84	5.00	26.77	0.00	9.07	
45	2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय		41.44	6.48	2.32	0.00	45.60	

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	21	2202-02-107-0105-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	159.50	1.35	136.81	0.00	24.04
47		2202-02-107-0106- मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	155.25	6.93	145.74	0.00	16.44
48		2202-02-109-0207-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	137.66	8.60	137.66	0.00	8.60
49		2202-02-110-0003-माध्यमिक बहुदेशीय अल्पसंख्यक विद्यालय	44.00	8.00	44.01	0.00	7.99
50		2202-02-191-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	15.43	0.99	13.00	0.00	3.42
51		2202-02-192-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	17.95	3.51	17.52	0.00	3.94
52		2202-02-789-0101-मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	25.50	5.92	24.22	0.00	7.20
53		2202-02-789-0102-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	24.75	5.31	23.47	0.00	6.59
54		2202-03-001-0001-निर्देशन तथा प्रशासन	2.86	4.02	5.25	0.00	1.63
55		2202-03-102-0009-भागलपुर विश्वविद्यालय	422.84	18.28	308.79	0.00	132.33
56		2202-03-102-0012-कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	105.06	1.98	62.23	0.00	44.81
57		2202-03-102-0119-नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा	0.00	26.31	0.00	0.00	26.31
58		2202-03-800-0002-अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड	0.06	0.01	0.06	0.00	0.01
59		2202-04-001-0002-जन शिक्षा निदेशालय	1.85	0.18	1.92	0.00	0.11
60		2202-04-200-0001-जिला जन शिक्षा कार्यालय	6.15	0.29	4.97	0.00	1.47
61		2202-80-001-0001-मुख्यालय स्थापना	5.84	0.14	4.87	0.00	1.11
62		2202-80-001-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	0.79	0.38	0.76	0.00	0.41
63		2202-80-004-0003-जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	1.34	1.98	2.02	0.00	1.30
64		2202-80-004-0005-अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.40	0.04	0.38	0.00	0.06
65		2202-80-004-0006-प्राचीन जैन शिल्प कला शोध संस्थान, वैशाली	0.71	0.01	0.67	0.00	0.05
66		2202-80-004-0007-के.पी. जायसवाल शोध संस्थान, पटना	1.43	0.43	1.47	0.00	0.39

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67	21	2204-00-104-0108-बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम	2.00	2.45	3.13	0.00	1.32
68		2205-00-105-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय	1.32	0.60	1.58	0.00	0.34
69	22	2052-00-090-0006-गृह (पुलिस) विभाग	4.59	0.12	4.51	0.19	0.01
70		2055-00-001-0001-अधीक्षण	31.09	0.33	27.35	0.00	4.07
71		2055-00-101-0001-आपराधिक जाँच विभाग	140.86	0.18	125.51	0.00	15.53
72		2055-00-104-0002-पैदल सैन्य पुलिस	619.55	11.54	549.55	0.00	81.54
73		2055-00-109-0017-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय	8.50	4.75	11.60	0.00	1.65
74		2055-00-114-0001-संकेत	44.70	0.60	42.03	0.00	3.27
75		2055-00-115-0001-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	36.00	6.28	8.55	0.00	33.73
76		2056-00-101-0006-मुक्त कारागार	0.82	0.08	0.56	0.00	0.34
77		2235-60-200-0004-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	3.50	0.50	3.28	0.00	0.72
78	23	2851-00-103-0001-हस्तकरघा विकास योजना	1.89	0.10	1.23	0.00	0.76
79		2852-08-001-0001-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	0.55	0.08	0.54	0.00	0.09
80		2852-80-102-0160-प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	670.00	15.00	366.32	295.00	23.68
81	24	2220-01-001-0001-निदेशन तथा प्रशासन	10.17	0.42	3.35	7.00	0.24
82		2251-00-090-0014-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	0.83	0.07	0.42	0.47	0.01
83	26	2230-01-789-0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम	0.13	0.20	0.13	0.19	0.01
84	29	2853-02-001-0001-खनन एवं भूतत्त्व स्थापना	18.71	0.01	13.50	5.09	0.13
85	33	2053-00-101-0001-मुख्य कार्यालय	20.15	1.37	17.40	3.82	0.30
86	35	2052-00-090-0012-विकास आयुक्त	0.77	0.03	0.59	0.18	0.03
87		2070-00-001-0105-बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
88	38	2039-00-001-0001-अधीक्षण	6.44	0.04	4.15	2.28	0.05
89		2052-00-092-0007-स्टाम्प्स और उत्पाद आयुक्त	0.53	0.04	0.43	0.08	0.06
90	39	2235-01-200-0004-कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायता अनुदान	12.17	3.50	8.98	0.09	6.60

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
91	39	2245-02-101-0010-वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	2.00	2.00	3.21	0.66	0.13
92	41	5054-03-101-0101-सेतु	621.31	13.69	1.05	27.23	606.72
93		5054-03-337-0206-केन्द्रीय सड़क निधि	100.00	25.05	62.42	11.11	51.52
94	42	2216-03-796-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	25.92	37.00	29.77	20.72	12.43
95		2216-03-796-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	11.36	14.00	11.34	7.04	6.98
96	43	2203-00-105-0101-रनातक-स्तरीय पाठ्यक्रम-विश्व बैंक संपोषित पॉलिटैक्नीक शिक्षा सुदृढीकरण योजना	0.46	0.05	0.33	0.15	0.03
97	47	2041-00-001-0001-राज्य परिवहन प्राधिकरण	5.92	0.20	4.47	1.39	0.26
98		2041-00-101-0002-मोटरवाहनों का नियंत्रण	30.13	0.68	24.28	6.32	0.21
99	48	2217-80-001-0002-नगर और प्रादेशिक संगठन की स्थापना	1.28	0.11	1.19	0.18	0.02
100		2217-80-001-0004-नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण	0.00	0.37	0.12	0.04	0.21
101		2251-00-090-0005-नगर विकास एवं आवास विभाग	5.43	1.04	4.99	0.74	0.74
102	49	2700-02-001-0001-स्थापना	79.67	3.05	79.85	2.80	0.07
103		2700-03-001-0001-स्थापना	152.26	5.00	152.32	4.46	0.48
104		2701-04-001-0001-स्थापना	30.19	1.16	30.32	1.00	0.03
105		4700-04-001-0101-स्थापना	7.50	0.16	6.93	0.71	0.02
106	50	2702-03-103-0002-राजकीय नलकूप	269.60	18.00	141.98	142.70	2.92
योग			5652.89	482.20	4028.59	647.78	1458.72

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर) बिहार सरकार, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.6
(संदर्भ: कंडिका 2.3.6; पृष्ठ 39)
निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	2401-00-109-0001- प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	212.82	147.28	8.86	52.27	4.41
2		2401-00-119-0001- उद्यान विकास योजना	16.23	11.43	0.43	3.75	0.62
3		2402-00-102-0112-भूमि संरक्षण कार्य	23.97	11.19	0.40	0.00	12.38
4	2	2403-00-103-0003-रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	5.99	4.71	0.25	0.00	1.03
5		2405-00-101-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	39.50	7.74	1.00	30.40	0.36
6	6	2015-00-105-0001- संसदीय चुनाव	215.00	189.26	9.36	7.09	9.29
7	9	2425-00-001-0002-अधीक्षण	57.49	56.49	0.06	0.65	0.29
8	12	2052-00-090-0008-वित्त विभाग	61.71	36.78	1.83	22.62	0.48
9		7610-00-201-0001-सरकारी सेवकों को गृह-निर्माण अग्रिम	7.00	5.29	1.50	0.01	0.20
10		7610-00-204-0001- पदाधिकारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	2.00	0.69	0.50	0.79	0.02
11	13	2049-01-101-0001-बिहार राज्य विकास ऋणों, (ब्याजदेय) पर सूद	2909.60	2644.69	54.42	0.00	210.49
12	19	2406-01-789-0102-नहर तट फार्म	11.17	9.77	0.79	0.29	0.32
13	20	2210-01-001-0002-जिला चिकित्सा पदाधिकारी	33.10	26.96	0.07	5.75	0.32
14		2210-01-110-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	125.00	105.98	2.90	0.00	16.12
15		2210-01-110-0008-श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	39.85	32.25	2.00	0.00	5.60
16		2210-01-200-0008-रक्त अधिकोष	3.98	2.20	0.95	0.00	0.83
17		2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेन्द्र	61.73	40.40	4.82	0.00	16.51
18		2210-03-103-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	867.05	701.01	13.50	147.16	5.38
19		2210-05-105-0001- पटना मेडिकल कॉलेज	77.91	61.65	1.00	0.00	15.26

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	20	2210-05-105-0009- दंत कॉलेज, पटना	5.10	3.43	0.52	0.00	1.15
21		2210-05-105-0013- फार्मसी प्रशिक्षण	1.67	1.05	0.20	0.00	0.42
22		2210-05-105-0017- इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	75.50	50.00	15.49	0.00	10.01
23		2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.24	24.50	7.41	0.00	5.33
24		2210-06-104-0001- औषध नियंत्रण स्थापना	11.71	9.13	0.04	0.00	2.54
25		2211-00-001-0204- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	41.36	20.95	2.00	0.00	18.41
26	21	2202-01-101-0001- राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	5409.62	3465.68	38.67	0.00	1905.27
27		2202-01-111-0301- सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)	2621.05	2030.31	134.05	0.00	456.69
28		2202-02-109-0208- प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	305.30	0.00	8.60	0.00	296.70
29		2202-02-196-0001- जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान	316.17	228.16	4.51	0.00	83.50
30		2202-03-102-0002- मगध विश्वविद्यालय	819.88	559.94	24.87	0.00	235.07
31		2202-03-102-0003- बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	468.99	316.89	0.68	0.00	151.42
32	22	2055-00-001-0009- प्रतिनियुक्ति अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय	677.74	651.70	0.12	0.00	25.92
33		2055-00-104-0003- विशेष टास्क फोर्स	124.46	56.88	0.60	0.00	66.98
34		2055-00-109-0001- जिला कार्यकारी दल	2566.97	2219.33	6.65	0.00	340.99
35		2055-00-109-0005- स्पेशल ऑकजलरी पुलिस	166.25	131.66	11.54	0.00	23.05
36		2055-00-109-0006- सुरक्षा संबंधित व्यय (एस.आर.ई.) स्कीम के तहत नक्सल प्रभावित थानों/बाह्य पोस्ट का सुदृढीकरण	16.00	8.90	3.00	0.00	4.10

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	22	2055-00-109-0009-एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों / हेलिकॉप्टरों / संचार संसाधन हेतु (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	11.00	0.04	1.75	0.00	9.21
38		2055-00-111-0002-ऑर्डर पुलिस	179.52	153.62	0.15	0.00	25.75
39		2056-00-101-0001-केन्द्रीय कारा	99.76	66.24	0.08	8.48	24.96
40		2056-00-101-0002-जिला कारा	121.17	71.00	0.15	11.00	39.02
41		2056-00-102-0001-केन्द्रीय कारा	16.75	15.40	0.11	0.86	0.38
42		2235-60-200-0009-जे.पी. सेनानी सम्मान योजना	13.00	11.40	0.20	1.39	0.01
43		2235-60-200-0011-मानवता के दृष्टिकोण से राहत	2.00	0.68	0.50	0.00	0.82
44		4055-00-051-0101-पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	227.16	192.95	31.00	0.00	3.21
45	23	2851-00-102-0001-प्रदर्शन केन्द्र	33.06	18.28	0.10	0.00	14.68
46		2851-00-103-0113-शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	18.70	1.47	4.00	0.10	13.13
47		2851-00-107-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत रेशम विकास योजना	48.00	11.72	11.00	0.00	25.28
48		2852-80-001-0002-निदेशन	27.63	18.31	0.08	0.00	9.24
49	24	2220-01-106-0002-जिला इकाईयाँ	25.25	13.86	0.49	10.43	0.47
50	26	2230-01-109-0101-बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण	0.40	0.24	0.10	0.05	0.01
51		2230-01-114-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	1.57	0.97	0.14	0.43	0.03
52	29	3451-00-090-0004- खान एवं भूतत्त्व विभाग	0.52	0.43	0.01	0.07	0.01
53	35	2053-00-094-0007- योजना तंत्र का सुदृढीकरण	89.86	60.48	0.24	27.72	1.42
54	36	2215-01-102-0002- हस्त चालित ट्यूबवैल्स, तालाब, कुएँ एवं उच्च प्रवाही नलकूप	146.91	121.49	3.00	22.09	0.33

क्रम सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
55	38	2030-03-001-0002- जिला प्रभार	57.78	38.45	0.04	18.08	1.21
56		2039-00-001-0002- जिला प्रभार	65.79	45.76	0.05	18.55	1.43
57	39	2245-01-101-0001- निःसहायों एवं विकलांगों को नकद भुगतान	30.00	0.00	7.50	0.00	22.50
58		2245-80-800-0102- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	11.28	1.91	2.58	6.72	0.07
59	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	252.40	191.57	1.20	57.41	2.22
60		5054-02-337-0101- भारत-नेपाल सीमा सड़क	224.00	148.38	8.74	16.54	50.34
61		5054-03-101-0104- मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	400.00	70.60	30.00	18.20	281.20
62	42	2216-03-105-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1144.80	425.28	37.00	649.40	33.12
63		2216-03-105-0302- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	484.88	160.61	112.00	207.40	4.87
64	43	2203-00-112-0001- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	25.26	23.74	0.03	1.21	0.28
65	44	2225-01-277-0003-आवासीय विद्यालय	95.26	73.28	0.05	21.84	0.09
66	45	2401-00-108-0109-गन्ना विकास	125.46	35.39	12.60	76.75	0.72
67		2401-00-789-0108- गन्ना विकास	17.51	1.70	2.25	13.29	0.27
68	48	2217-80-193-0007- शहरी प्रबंधक	1.17	0.84	0.12	0.13	0.08
69	49	2700-03-101-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	29.60	11.65	5.00	9.27	3.68
70		2711-01-103-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	110.45	82.02	10.30	18.01	0.12
71		4700-04-051-0101- किउल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	20.70	2.68	1.00	16.90	0.12
72		4701-03-001-0101- स्थापना	1.80	1.42	0.16	0.21	0.01
73		4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजनाएं (कार्य)	13.03	2.97	2.00	7.50	0.56
74	50	2702-03-103-0007-अन्य रख-रखाव व्यय	106.47	6.29	18.00	82.17	0.01
75		4702-00-101-0101-लघु सिंचाई	53.98	35.04	11.24	7.47	0.23
76		4702-00-789-0101-लघु सिंचाई योजना	21.27	14.49	5.32	1.40	0.06
योग			22791.26	16006.93	683.87	1601.85	4498.61

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान अंकेक्षण पंजी को सम्मिलित कर) बिहार सरकार, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.7
(संदर्भ:कडिका 2.3.7; पृष्ठ 41)
वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ या कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-001-0112-वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	27.07	3.75	22.98	0.34	84.89
2		2401-00-102-0301- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	16.92	0.22	16.70	0.00	98.70
3		2401-00-103-0109-बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय	90.93	26.90	63.30	0.73	69.61
4		2401-00-103-0115-बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	34.96	3.83	31.02	0.11	88.73
5		2401-00-103-0417-गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण	38.31	0.57	37.51	0.23	97.91
6		2401-00-105-0106-जैविक खेती का उन्नयन	169.20	64.91	104.29	0.00	61.64
7		2401-00-105-0307-राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	38.07	17.23	20.84	0.00	54.74
8		2401-00-109-0103-बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	215.72	85.91	129.81	0.00	60.18
9		2401-00-109-0114-एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (ई.ए.पी.)	34.24	0.26	33.98	0.00	99.24
10		2401-00-109-0217-राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिक मिशन	141.80	0.00	122.97	18.83	86.72
11		2401-00-119-0224-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	44.54	7.00	37.54	0.00	84.28
12		2401-00-119-0324- राष्ट्रीय बागवानी मिशन	36.90	13.99	22.91	0.00	62.09
13		2401-00-789-0116- बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	5.82	0.61	5.18	0.03	89.00
14		2401-00-789-0117- बीज उत्पादन कार्यक्रम	16.14	3.41	12.64	0.09	78.31
15		2401-00-789-0125- बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	51.53	11.83	38.64	1.06	74.99
16		2401-00-789-0126- जैविक खेती का उन्नयन	28.00	7.22	20.14	0.64	71.93
17		2401-00-796-0147- बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	5.76	0.61	5.07	0.08	88.02
18		2402-00-102-0213- एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	70.00	11.47	58.53	0.00	83.61

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	1-कृषि विभाग	2402-00-102-0313- एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	20.73	0.00	19.59	1.14	94.50
20		2415-01-004-0107-मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	11.97	3.73	8.16	0.08	68.17
21		2415-01-277-0110- कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	39.99	18.68	21.31	0.00	53.29
22		2415-07-277-0101-उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	14.41	5.68	8.73	0.00	60.58
23		4401-00-051-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	41.55	12.51	29.04	0.00	69.89
24	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-103-0106- रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	28.11	5.93	22.18	0.00	78.90
25		2403-00-106-0210- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	34.87	2.12	32.75	0.00	93.92
26		2403-00-106-0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	7.50	1.11	6.39	0.00	85.20
27		2405-00-101-0104- तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	39.50	7.74	31.40	0.36	79.49
28	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0017- विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	7.71	2.58	5.13	0.00	66.54
29		2059-60-052-0401- व्यक्तिगत अशक्तता अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए योजना (एस.आई.पी.डी.ए.)	5.86	0.21	5.65	0.00	96.42
30		2059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9.00	1.14	7.86	0.00	87.33
31		2059-80-053-0002- कार्य भारित स्थापना	10.00	1.58	8.41	0.01	84.10
32		4047-00-051-0101- वाणिज्य-कर विभाग के भवन	5.93	0.26	5.67	0.00	95.62
33		4047-00-051-0105- कोषागार कार्यालय में अतिरिक्त संसाधन का अधिष्ठापन	29.99	6.80	23.19	0.00	77.33
34		4059-01-051-0104- सामान्य प्रशासन विभाग के समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण	35.29	15.74	19.55	0.00	55.40
35		4059-01-051-0107- वित्त विभाग का भवन	15.00	0.40	14.60	0.00	97.33
36		4059-01-051-0118- पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण	6.16	0.55	5.61	0.00	91.07

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
37	03-भवन निर्माण विभाग	4059-60-051-0104- परिसदन का निर्माण एवं संधारण	14.00	2.98	11.02	0.00	78.71	
38		4059-60-051-0112- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन	14.00	4.17	9.73	0.10	69.50	
39		4059-60-051-0218- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	19.60	5.25	12.14	2.21	61.94	
40		4210-01-110-0116- शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण	33.00	3.44	29.56	0.00	89.58	
41		4216-01-051-0102- सामान्य प्रशासन विभाग के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	18.00	4.09	13.91	0.00	77.28	
42		4216-01-700-0101-अन्य आवास	15.00	0.15	14.85	0.00	99.00	
43		4408-02-101-0101- लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम	623.00	11.68	611.32	0.00	98.13	
44		09-सहकारिता विभाग	2408-02-190-0101- बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	33.80	14.37	19.43	0.00	57.49
45			2425-00-001-0107- सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	10.00	0.00	9.92	0.08	99.20
46	2425-00-108-0415- एकीकृत सहकारी विकास योजना		55.29	0.03	55.26	0.00	99.95	
47	10-ऊर्जा विभाग	2801-02-190-0001- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि. (समविकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	10.00	2.09	7.91	0.00	79.10	
48		2801-05-190-0001- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (समविकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	20.00	7.98	12.02	0.00	60.10	
49		4801-02-190-0203- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) बी.एस.पी.जी.सी. एल. के लिए	50.00	22.10	27.90	0.00	55.80	
50		4801-05-190-0208- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) बी.एस.पी.टी.सी.एल. के लिए	900.00	175.64	724.36	0.00	80.48	

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	10-ऊर्जा विभाग	4801-05-190-0209- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) एस.बी.पी.डी.सी.एल. के लिए	850.00	230.00	620.00	0.00	72.94
52		4801-05-190-0210- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) (राज्यघटक) एन.बी.पी.डी.सी.एल. के लिए	850.00	236.63	613.37	0.00	72.16
53		6801-00-190-0015- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु)	20.00	1.90	18.10	0.00	90.50
54		6801-00-190-0016- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु)	30.00	8.96	21.04	0.00	70.13
55		6801-00-190-0017- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के मूल धन के भुगतान हेतु)	16.05	3.37	12.68	0.00	79.00
56		6801-00-190-0018- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के मूल धन के भुगतान हेतु)	25.32	4.02	21.30	0.00	84.12
57		6801-00-201-0101- बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	38.93	10.00	28.93	0.00	74.31
58	12-वित्त विभाग	2054-00-095-0103- बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन माड प्रोजेक्ट)	80.00	12.81	67.19	0.00	83.99
59	16-पंचायती राज विभाग	2015-00-109-0002- जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	20.00	3.61	15.54	0.85	77.70
60		2515-00-101-0213- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक) (ए.सी.ए.)	815.02	313.52	481.58	19.92	59.09
61		2515-00-197-0205- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	25.00	1.58	22.45	0.97	89.80
62		2515-00-197-0305- राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	8.30	0.65	6.95	0.70	83.73
63	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-789-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	183.80	19.89	142.94	20.97	77.77
64		3456-00-796-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	12.25	2.02	8.63	1.60	70.45

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
65	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-101-0110- वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण (वित्त आयोग)	8.70	3.42	5.25	0.03	60.34
66	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-01-051-0104- शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	15.00	0.23	14.77	0.00	98.47
67		4210-01-110-0113- जिला तथा अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार	72.00	10.80	61.20	0.00	85.00
68		4210-02-110-0203- एन.आर.एच.एम. सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	100.00	27.84	72.16	0.00	72.16
69		4210-02-110-0303- एन.आर.एच.एम. सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	33.33	15.52	17.81	0.00	53.44
70	22-गृह विभाग	2055-00-104-0004- आतंकवाद निरोधक दस्ता	27.23	4.51	20.66	2.06	75.87
71		2070-00-108-0102- अग्निशामक उपकरणों का क्रय	25.00	3.36	21.64	0.00	86.56
72	23-उद्योग विभाग	2408-01-103-0201- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	18.14	2.30	15.84	0.00	87.32
73	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-106-0101- क्षेत्रीय प्रचार योजना	78.00	11.93	66.07	0.00	84.71
74	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0106- ज्ञान सिटी परियोजना	47.17	9.99	37.18	0.00	78.82
75		2852-07-202-0109- ई-शासन राज्य योजना	35.80	6.29	28.31	1.20	79.08
76		2852-07-202-0212- राष्ट्रीय ई-प्रशासन कार्य योजना (एन.ई.जी.ए.पी.) (ए.सी.ए.)	46.45	19.27	27.18	0.00	58.51
77		3451-00-090-0118- सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	10.00	3.36	6.64	0.00	66.40
78		4859-02-004-0101- बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	10.00	4.00	6.00	0.00	60.00
79		27-विधि विभाग	2014-00-003-0001- बिहार न्यायिक अकादमी	18.59	8.55	10.04	0.00
80	2014-00-117-0101- परिवार न्यायालय		7.68	1.63	6.05	0.00	78.78
81	35- योजना एवं विकास विभाग	2053-00-093-0105- वित्त आयोग राज्य नवाचार निधि	19.00	7.50	11.50	0.00	60.53
82		3454-02-204-0401- आर्थिक गणना	28.28	3.29	24.99	0.00	88.37
83		4070-00-051-0210- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	63.58	31.37	32.21	0.00	50.66

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
84	35- योजना एवं विकास विभाग	4070-00-789-0103- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	143.64	17.92	95.72	30.00	66.64
85		4070-00-796-0101- मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	7.68	0.29	6.97	0.42	90.76
86		5475-00-112-0202- सांख्यिकी सुदृढीकरण को समर्थन	43.41	1.54	41.28	0.59	95.09
87	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0101- ग्रामीण जलापूर्ति योजना	7.90	1.37	6.53	0.00	82.66
88	37-ग्रामीण कार्य विभाग	3054-04-105-0001- ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय	850.00	94.24	735.20	20.56	86.49
89		4515-00-789-0101- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	50.00	16.00	34.00	0.00	68.00
90	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0004- प्रभावितों को वस्त्र एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	10.00	0.81	9.10	0.09	91.00
91		2245-02-101-0006- आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	15.00	0.70	14.19	0.11	94.60
92		2245-02-101-0007- आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्रों के लिए अनुदान	10.00	2.59	7.14	0.27	71.40
93		2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण	52.35	7.29	44.49	0.57	84.99
94		2245-02-112-0003- आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव तथा निष्क्रमण संयंत्रों का क्रय	15.00	2.01	12.75	0.24	85.00
95		2245-05-114-0001- कृषि इनपुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	105.43	37.42	68.01	0.00	64.51
96		2245-80-102-0104- राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स	16.00	6.85	8.48	0.67	53.00
97		2245-80-800-0102- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	11.28	1.91	9.30	0.07	82.45
98	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-102-0101- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	64.00	30.62	33.32	0.06	52.06
99		2029-00-103-0206- राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.)	13.98	4.64	8.71	0.63	62.30
100	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-0006- राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन	50.00	0.06	35.53	14.41	71.06
101		5054-03-789-0101- वृहद्-सड़कें	400.00	65.83	295.15	39.02	73.79
102	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00	0.08	9.90	0.02	99.00
103		2216-03-105-0202- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1144.80	425.28	686.40	33.12	59.96
104		2216-03-105-0302- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	484.88	160.61	319.40	4.87	65.87

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश- तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
105	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-789-0202- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1529.28	534.27	995.01	0.00	65.06
106		2216-03-789-0302- इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	509.76	162.25	347.51	0.00	68.17
107		2501-06-101-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	124.22	12.68	110.99	0.55	89.35
108		2501-06-101-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	46.75	4.44	42.23	0.08	90.33
109		4515-00-103-0102- प्रखंड लघु निर्माण कार्य	25.00	9.49	15.05	0.46	60.20
110	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-104-0102- पॉलिटैक्नीक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय	15.70	7.80	7.90	0.00	50.32
111	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0218- अनुसूचित जातियों के विकास की योजना	96.47	28.43	67.69	0.35	70.17
112	45- गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-108-0109- ईख विकास	125.46	35.39	89.35	0.72	71.22
113		2401-00-789-0108- ईख विकास	17.51	1.70	15.54	0.27	88.75
114		2852-08-201-0103- आर्थिक सहायता	79.97	27.21	52.76	0.00	65.97
115		2852-08-789-0101- आर्थिक सहायता	12.00	4.08	7.92	0.00	66.00
116		6860-04-190-0001- चीनी मिलों को ऋण	167.62	0.63	166.99	0.00	99.62
117	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-106-0302- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	58.50	12.73	45.77	0.00	78.24
118		2217-01-191-0115- परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	60.84	12.34	47.75	0.75	78.48
119		2217-03-193-0104- सिविल क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ	49.02	17.04	26.55	5.43	54.16
120		2217-03-193-0210- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	160.00	37.68	122.32	0.00	76.45
121		2217-80-192-0001- वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	72.53	19.80	52.73	0.00	72.70
122		2217-80-193-0001- वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	52.05	14.11	37.46	0.48	71.97

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
123	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-80-800-0126- योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रमों की स्थापना	10.00	0.73	9.27	0.00	92.70
124	49-जल संसाधन विभाग	2701-04-101-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	12.60	4.87	7.70	0.03	61.11
125		4700-01-051-0103- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	16.00	4.28	11.72	0.00	73.25
126		4700-01-051-0204- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	114.05	26.45	65.64	21.96	57.55
127		4700-01-051-0304- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	22.82	1.49	20.33	1.00	89.09
128		4700-01-789-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना	24.50	9.37	14.42	0.71	58.86
129		4700-02-051-0103- गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	30.00	8.79	21.14	0.07	70.47
130		4700-04-051-0101- किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	20.70	2.68	17.90	0.12	86.47
131		4700-04-051-0103- किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	17.00	0.40	16.60	0.00	97.65
132		4701-03-789-0101-सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना	33.71	2.45	25.50	5.76	75.65
133		4701-04-051-0101- किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	24.30	6.09	17.22	0.99	70.86
134	4701-04-051-0103- किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	16.08	4.01	11.83	0.24	73.57	
135	4701-04-789-0101 किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	14.46	1.83	12.13	0.50	83.89	
136	4711-01-051-0408- गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों के कटाव निरोधक योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन कार्य) (शत-प्रतिशत केन्द्रांश)	178.00	27.23	150.70	0.07	84.66	
137	4711-01-051-0102- जल निस्सरण परियोजनाएँ (कार्य)	13.03	2.97	9.50	0.56	72.91	

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिश-तता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
138	49-जल संसाधन विभाग	4711-01-051-0106-जमींदारी बाँधों का जीर्णोद्धार	25.50	11.74	13.75	0.01	53.92
139		4711-01-051-0209- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	352.59	21.17	324.57	6.85	92.05
140		4711-01-051-0309- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	276.76	50.05	216.58	10.13	78.26
141	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002- उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	20.00	8.83	11.17	0.00	55.85
142		2702-02-005-0101- सर्वेक्षण और जाँच	23.40	0.22	23.18	0.00	99.06
143		2702-03-101-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	8.00	0.34	7.56	0.10	94.50
144		2702-03-102-0005- अन्य रख-रखाव व्यय	14.00	0.29	13.63	0.08	97.36
145		2702-03-103-0007- अन्य रख-रखाव व्यय	106.47	6.29	100.17	0.01	94.08
146		2702-03-789-0101- निजी नलकूप	8.76	3.48	5.25	0.03	59.93
147		4702-00-102-0102- नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	27.94	4.60	23.23	0.11	83.14
148	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0106- निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	38.00	13.00	25.00	0.00	65.79
149		2235-02-102-0105- समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली	11.00	4.81	5.60	0.59	50.91
150		2235-02-102-0116- परवरिश	10.00	2.40	7.60	0.00	76.00
151		2235-02-102-0224- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)	143.04	37.25	104.14	1.65	72.80
152		2235-02-103-0219- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	63.38	26.84	35.91	0.63	56.66
153		2235-02-104-0104- बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	68.00	2.00	66.00	0.00	97.06
154		2236-02-101-0203- समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	1198.35	398.78	789.59	9.98	65.89
योग			16534.26	4140.43	12102.42	291.41	73.20

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

परिशिष्ट- 2.8

(संदर्भ: कडिका 2.3.7; पृष्ठ 41)

निधियों का शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1-कृषि विभाग	2401-00-001-0103- नई कार्य योजना का राज्यांश-एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	8.46
2		2401-00-107-0408-भारत में कीट प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.23
3		2401-00-789-0124- एग्रीकल्चर मार्केटिंग	1.40
4		2401-00-789-0127- कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	0.35
5		2401-00-789-0132- एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ई.ए.पी.)	5.60
6		2401-00-789-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2.80
7		2401-00-796-0145-कृषि विपणन	0.14
8		2401-00-796-0154-एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (ई.ए.पी.)	0.56
9		4401-00-789-0101- कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	3.54
10		4401-00-796-0102- कृषि विभाग के भवनों	0.85
11	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-103-0211- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	1.17
12		2403-00-103-0212- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	10.00
13		2403-00-104-0205- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) (ए.सी.ए.)	13.30
14		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय मवेशी प्रबंधन	5.82
15		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.47
16		2403-00-789-0206- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	3.58
17		2403-00-789-0207- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1.11
18		2403-00-789-0306- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.83
19		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.19
20		2404-00-102-0112- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.25
21		2404-00-102-0214- राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	2.00
22		2415-03-277-0101- बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	1.00
23	3-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0102- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार	2.00
24		2059-80-103-0004- निरीक्षण भवनों का साज-सज्जा	0.20
25		2059-80-103-0005- राज भवन का साज-सज्जा	0.50
26		4059-01-051-0106- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ-सह-कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार	3.00
27		4059-01-051-0122- अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	2.60
28		4059-01-796-0104-अनुसूचित जनजातियों के लिए भवन	0.20
29		4059-60-051-0420- उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढीकरण	3.93
30		4059-60-051-0101- सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	6.00
31		4059-60-051-0108- विरासत संरक्षण-वित्त आयोग	65.50
32		4059-60-051-0120-व्यवहार न्यायालय, पटना में जी + 7 न्यायालय भवन का निर्माण	10.00

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
33	3-भवन निर्माण विभाग	4059-60-051-0219- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के भवन हेतु (ए.सी.ए.)	20.00
34		4059-80-004-0001-निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.15
35		4059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2.00
36		4202-02-104-0207- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	2.00
37		4210-03-105-0116- मेडिकल कॉलेज	5.00
38		4216-01-700-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.05
39		4216-01-700-0206- ग्राम नगरपालिका सहित ग्राम न्यायालयों हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	3.00
40		4216-01-700-0306- ग्राम नगरपालिका सहित ग्राम न्यायालयों हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.76
41		4216-80-051-0103- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास	2.00
42		4216-80-101-0001- निर्माण के पूर्व के प्रारम्भिक कार्य	0.10
43		4235-02-104-0101- वृद्धाश्रम	24.00
44		4250-00-053-0207- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	31.00
45		4250-00-053-0307- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	15.00
46		4515-00-789-0106- बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	51.96
47	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2052-00-090-0147- सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	0.70
48		2070-00-001-0103- जनशिकायत निवारण व्यवस्था	10.00
49	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-103-0004- राज्यपाल का सज्जा-भत्ता	0.05
50		2012-03-103-0005- विद्युत (ऊर्जा उपभोग)	0.05
51		2012-03-103-0008- मरम्मत	0.14
52	7-निगरानी विभाग	2070-00-104-0005- विद्युत निगरानी ऊर्जा चोरी निरोध कोषांग	5.30
53	9-सहकारिता विभाग	2401-00-796-0126- पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	7.21
54		2425-00-003-0102- विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	0.07
55		2425-00-107-0141-पैक्सों को उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	5.27
56		2425-00-108-0107-समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंको को सहायता अनुदान	1.95
57		4425-00-108-0465- एकीकृत सहकारी विकास योजना	0.36
58		6425-00-107-0106-पैक्सों को उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	15.74
59		6425-00-108-0418- एकीकृत सहकारी विकास योजना	1.95
60	10-ऊर्जा विभाग	2801-05-190-0004- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि. (सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	20.00
61		2810-60-600-0002- बिहार पारंपरिक ऊर्जा विकास अभिकरण को सहायता अनुदान	8.54

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
62	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0108- छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य राज्यांश (50:50)	1.00
63		2225-03-277-0213- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	2.00
64		4225-03-190-0101- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1.00
65		4225-03-277-0101- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	5.00
66		12-वित्त विभाग	2070-00-800-0008- विविध तथा आकस्मिक व्यय
67	2204-00-104-0005- अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगिता हेतु सचिवालय स्पोर्ट्स क्लब को सहायक अनुदान		0.07
68	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-003-0204- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम	50.00
69		2515-00-003-0304- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण कार्यक्रम	16.60
70		2515-00-101-0110-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन	83.00
71		2515-00-196-0208- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	25.00
72		2515-00-196-0308- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	8.40
73		2515-00-197-0004-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	170.27
74		2515-00-198-0009- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	746.63
75		2515-00-198-0212- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	125.00
76		2515-00-198-0312- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	41.70
77		2515-00-789-0107-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	17.00
78		4515-00-101-0104-पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा	0.50
79		4515-00-101-0206- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	75.00
80		4515-00-101-0306- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	25.00
81	17-वाणिज्य-कर विभाग	2040-00-101-0002-भामासाह सम्मान योजना	0.75
82	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0407- उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढीकरण	1.10
83		3456-00-102-0103-जिला प्रभार-जन वितरण प्रणाली व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण	9.00
84		3456-00-102-0105-लक्षित जन-वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	200.00
85		3456-00-102-0206-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	50.00
86		3456-00-102-0407- लक्षित जन-वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	17.89
87		3456-00-191-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.50

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
88	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-192-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.86
89		3456-00-193-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	1.50
90		3456-00-198-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक एवं यात्रा भत्ता	2.50
91	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-796-0134- वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण (वित्त आयोग)	0.90
92		2406-04-101-0202-राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	1.00
93		2406-04-101-0302- राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	0.30
94	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016- मानसिक आरोग्यशाला	10.00
95	21-शिक्षा विभाग	2202-03-103-0101- राजकीय महिला महाविद्यालय	2.00
96	22-गृह विभाग	2055-00-001-0006- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.43
97		2055-00-003-0004- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.30
98		2070-00-108-0205-पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	4.93
99		4055-00-207-0001-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	72.00
100	23-उद्योग विभाग	2408-01-789-0301- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.95
101		4851-00-102-0102- टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर	0.53
102		4860-60-102-0201- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	12.07
103		4860-60-102-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.40
104		4860-60-789-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.10
105		6885-01-190-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.20
106	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-103-0002- शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.07
107	25-सूचना प्रावधिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास मिशन	60.00
108		2852-07-202-0101- राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	1.00
109		2852-07-202-0103- ई-शासन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	2.00
110		2852-07-202-0104- ई-क्रय योजना	1.00
111		2852-07-202-0105- राज्य की पोर्टल योजना	2.00
112		2852-07-202-0108- राज्य डाटा सेन्टर	1.00
113	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0112- सीमापर श्रमिक आवास अन्य मानव बल के नियोजन हेतु ब्यूरो	0.15
114		2230-03-003-0129- बिहार कौशल विकास मिशन	130.32
115		2235-60-110-0202- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	60.00
116	27-विधि विभाग	2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	5.00

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण	
(1)	(2)	(3)	(4)	
117	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2250-00-003-0101- अल्पसंख्यक वर्ग के प्रशिक्षण	0.10	
118		2250-00-800-0107- वक्फ संपत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन	0.20	
119		2250-00-800-0108- वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवोल्विंग फंड के रूप में अनुदान	0.20	
120	33-सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0002- बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	2.35	
121		2070-00-003-0006-बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	5.90	
122	35-योजना एवं विकास विभाग	2052-00-090-0103-योजना तंत्र का सुदृढीकरण	2.50	
123		2053-00-093-0107-मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	10.00	
124		3454-02-204-0120-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	1.30	
125		3454-02-205-0405-लघु सिंचाई सांख्यिकी	5.16	
126		3454-02-205-0406-राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण)	0.59	
127		3454-02-206-0101-वित्त आयोग यू.आई.डी. कार्य	73.84	
128		4401-00-789-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	9.29	
129		4401-00-796-0102-कृषि विभाग के भवन	0.85	
130		4515-00-789-0103-पंचायत सरकार भवनों का निर्माण-वित्त आयोग (पंचायती राज विभाग)	84.92	
131		36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-02-003-0102-बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण-सह शोध केन्द्र के संचालन एवं अन्य कार्य हेतु अनुदान	0.50
132			4215-01-102-0115-जल संरक्षण, भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग	0.05
133	4215-01-102-0125-प्रयोगशाला का उन्नयन तथा जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण		0.25	
134	4215-01-102-0126-प्रशिक्षण एवं कार्यशाला		0.10	
135	4215-01-102-0229-निर्मल भारत अभियान		250.00	
136	4215-01-796-0109-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु (नाबार्ड से ऋण)		0.38	
137	4215-01-796-0111-प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति		0.50	
138	4215-01-796-0115-ग्रामीण जलापूर्ति योजना		0.10	
139	4215-02-051-0101-श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास		2.00	
140	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		2030-03-001-0004-विवाह निबंधन पंजियों एवं प्रपत्रों की छपाई लागत	0.10
141		2039-00-001-0007-उत्पाद दुकानों के बंदी के लिए मुआवजा	0.20	
142	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00	
143		2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10	
144		2245-01-101-0005- अन्य कार्य	10.00	
145		2245-01-101-0006-कृषि विभाग हेतु अन्य कार्य अनुदान (कृषि इनपुट)	13.00	
146		2245-01-102-0001- ट्रकों एवं ट्रैक्टरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति	10.00	
147		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मत	10.00	
148		2245-02-101-0011- नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण	2.00	
149		2245-02-101-0012- विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	5.34	
150		2245-02-101-0013-स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नकद भुगतान	0.10	

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
151	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0014- पाला एवं शीत लहर से बचाव हेतु नकद-अनुदान	0.10
152		2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्ति	3.76
153		2245-02-106-0001- क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्ति तथा पुनः स्थापना	20.00
154		2245-02-107-0001- सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों का मरम्ति एवं प्रत्यास्थापन	0.10
155		2245-02-108-0001- सरकारी आवासीय भवनों का मरम्ति एवं प्रत्यास्थापन	0.10
156		2245-02-112-0004-संचार उपकरणों का क्रय	5.00
157		2245-02-114-0002- वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.50
158		2245-02-114-0003-कृषि फसलों के लिए सहायता	0.50
159		2245-02-114-0004- बागवानी फसलों के लिए सहायता	0.10
160		2245-02-114-0005- शाश्वत फसलों के लिए सहायता	0.10
161		2245-02-115-0001- भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों की सहायता	0.50
162		2245-02-115-0002- मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद/बालू आदि का निष्कासन	0.10
163		2245-02-116-0001-खराब ट्यूबवेलों/पंपसेटों आदि की मरम्ति के लिए किसानों की सहायता	0.10
164		2245-02-119-0002- सूत एवं अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.05
165		2245-02-119-0003- हस्तकरघा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
166		2245-02-196-0001- जिला परिषद्/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.05
167		2245-02-197-0001- प्रखंड स्तरीय पंचायत/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.05
168		2245-02-282-0004- कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.44
169		2245-02-800-0007-गैर सरकारी संस्थानों से प्राप्त राहत सामग्रियों के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
170		2245-02-800-0008- क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली	2.33
171	2245-06-101-0001- मृत व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.10	
172	2245-06-113-0001- भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्ति/पुनर्स्थापन	0.05	
173	2245-80-001-0103- आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	1.26	
174	2245-80-003-0001- आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	0.05	
175	2245-80-102-0105- जागरूकता एवं क्षमता विकास	10.00	
176	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-104-0004- जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्र	0.42
177		4047-00-050-0106-भूमि बैंक योजना	1.00
178	41-पथ निर्माण विभाग	5054-80-003-0101-प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	0.50
179	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-789-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	48.56
180		2501-06-789-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	19.29
181		2501-06-796-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	35.16

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण
(1)	(2)	(3)	(4)
182	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-06-796-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	13.97
183		2515-00-102-0116- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (ई.ए.पी.)	5.00
184		4515-00-102-0102- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (ई.ए.पी.)	5.00
185	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-004-0001- अनुदान और अनुसंधान छात्रवृत्ति	0.35
186		2203-00-004-0101-बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेंसिंग केन्द्र/इन्दिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लेनेटोरियम, पटना	18.50
187		2203-00-112-0105- कौशल विकास मिशन	30.00
188	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0216- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	5.00
189		2225-01-793-0401- अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	40.00
190		2225-02-102-0101- अनुसूचित जनजाति के बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्ति	11.61
191		2225-02-102-0102- अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	14.37
192		2225-02-277-0214- अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों की शिक्षा के लिए छतरी योजना	7.17
193		2225-02-277-0314- अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों की शिक्षा लिए छतरी योजना	0.05
194		46-पर्यटन विभाग	5452-01-102-0101- नालन्दा धरोहर पर्यटन योजना
195	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-02-106-0202- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	117.60
196		2215-02-789-0203- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	21.00
197		2215-02-789-0303- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	0.90
198		2215-02-796-0205- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	1.40
199		2215-02-796-0305- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.)	0.60
200		2217-01-053-0001-बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	13.00
201		2217-01-191-0217- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00
202		2217-01-789-0204- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	30.00
203		2217-03-191-0208- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	200.00
204		2217-03-191-0308- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	40.00
205		2217-03-192-0106- शहरी आधारभूत संरचना समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	4.00
206		2217-03-193-0105-शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	2.00
207	2217-03-193-0310- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	32.00	
208	2217-03-789-0204- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	10.00	

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं के नाम (लेखाशीर्ष)	कुल प्रावधान का प्रत्यर्पण	
(1)	(2)	(3)	(4)	
209	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-03-789-0304-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	2.00	
210		2217-04-191-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00	
211		2217-04-191-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	10.00	
212		2217-04-192-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00	
213		2217-04-192-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	10.00	
214		2217-04-193-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	50.00	
215		2217-04-193-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	12.00	
216		2217-04-789-0202- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	6.44	
217		2217-04-789-0302- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	5.93	
218		2217-80-800-0119- शहरी आधारभूत संरचना समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निगमों/प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	2.00	
219		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	0.08	
220		3475-00-108-0202- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	60.00	
221		3475-00-108-0302- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	20.00	
222		3475-00-789-0202- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	2.25	
223		3475-00-789-0302- राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	0.75	
224		4217-04-050-0101- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन की परियोजनाएँ (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) (ए.सी.ए.)	1.00	
225		49-जल संसाधन विभाग	4700-80-051-0203- राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम	2.00
226			4711-01-051-0105- जल निस्सरण परियोजनायें (कार्य) (नाबार्ड संपोषित योजना)	0.10
227	4711-01-051-0107- वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजना		83.25	
228	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	24.70	
229		2702-02-789-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	10.36	
230		2702-02-796-0105- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.42	
231		2702-03-796-0101- निजी नलकूप	0.35	
232		4702-00-796-0103-लघु सिंचाई	0.85	
233	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0111- विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.30	
234		2235-02-102-0119- स्वस्थ पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (ई.ए.पी.)	87.50	
235		2235-02-103-0110- नारी शक्ति योजना	1.00	
236		2235-02-103-0113- स्वस्थ पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (ई.ए.पी.)	28.50	
237		2235-02-789-0108- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0.20	
238		4235-02-102-0106- सुधार गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.50	
योग			4347.77	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.9

(संदर्भ: कडिका 2.3.9; पृष्ठ 41)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1-कृषि विभाग	2415	149.94	64.85	85.09	56.75
2		2435	6.70	0.86	5.84	87.16
3	3-भवन निर्माण विभाग	4225	28.00	4.63	23.37	83.46
4	5-राज्यपाल सचिवालय	2012	1.67	0.32	1.35	80.84
5	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225	33.62	25.57	8.05	23.94
6	12-वित्त विभाग	2070	2.30	1.80	0.50	21.74
7	13-सूद भुगतान	2049	419.28	37.48	381.80	91.06
8	14-ऋण अदायगियाँ	6003	2.07	0.00	2.07	100.00
9	15-पेंशन	2071	321.82	0.12	321.70	99.96
10	21-शिक्षा विभाग	2202	8689.74	74.29	8615.45	99.15
11	22-गृह विभाग	2055	812.14	26.57	785.57	96.73
12		2056	77.56	21.68	55.88	72.05
13		4055	238.02	72.00	166.02	69.75
14		4070	15.67	13.28	2.39	15.25
15	23-उद्योग विभाग	2851	144.48	30.02	114.46	79.22
16		4885	1.00	0.20	0.80	80.00
17	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4250	11.33	1.82	9.51	83.94
18	35-योजना एवं विकास विभाग	4070	882.39	148.52	733.87	83.17
19	37-ग्रामीण कार्य विभाग	4515	498.66	106.78	391.88	78.59
20	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2235	7.13	4.14	2.99	41.94
21	46-पर्यटन विभाग	3452	3.52	1.02	2.50	71.02
22	51-समाज कल्याण विभाग	4235	1.24	0.50	0.74	59.68
योग			12348.28	636.45	11711.83	94.85

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.10

(संदर्भ: कडिका 2.3.9; पृष्ठ 41)

वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक के निधियों का अभ्यर्पण के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401-फसल कृषि-कर्म	2667.64	1009.48	37.84
2		2402-मृदा तथा जल संरक्षण	125.01	79.06	63.24
3		4401-फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	46.41	10.61	22.86
4	2	2403-पशुपालन	380.31	141.04	37.09
5		2405-मत्स्य पालन	109.58	42.37	38.67
6	3	2059-लोक निर्माण कार्य	468.63	82.85	17.68
7		4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	35.92	28.86	80.35
8		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1585.89	593.96	37.45
9		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	49.05	38.05	77.57
10		4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	72.12	54.43	75.47
11		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	34.00	30.90	90.88
12		4408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	700.00	171.32	24.47
13		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	305.66	305.60	99.98
14	9	2401-फसल कृषि-कर्म	496.22	86.14	17.36
15		2425-सहकारिता	298.81	77.76	26.02
16		4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	42.90	19.17	44.69
17		6425-सहकारिता के लिए कर्ज	117.68	17.68	15.02
18	10	2801-बिजली	4752.87	999.93	21.04
19		4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6316.07	1140.97	18.06
20		6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	420.21	176.05	41.90
21	12	2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	78.83	23.23	29.47
22		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	172.02	20.25	11.77
23	16	2015-निर्वाचन	21.93	15.87	72.37
24		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	4685.89	2257.47	48.18
25		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	100.50	100.50	100.00
26	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	134.72	38.32	28.44
27	18	3456-सिविल पूर्ति	943.81	338.17	35.83
28	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3733.84	640.92	17.17
29		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1064.19	440.95	41.44
30	22	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	365.24	52.71	14.43
31		4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	560.17	72.00	12.85
32		4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	25.00	13.28	53.12

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33	22	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	50.00	14.80	29.60
34	23	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	12.57	12.57	100.00
35	24	2220-सूचना तथा प्रचार	205.43	88.79	43.22
36	25	2230-श्रम तथा रोजगार	60.00	60.00	100.00
37		2852-उद्योग	142.42	104.53	73.40
38	26	2230-श्रम तथा रोजगार	303.78	80.38	26.46
39		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	140.55	60.05	42.73
40	27	2014-न्याय प्रशासन	665.27	169.88	25.54
41	28	2014-न्याय प्रशासन	129.00	42.13	32.66
42	33	2051-लोक सेवा आयोग	67.00	32.57	48.61
43		2053-जिला प्रशासन	344.11	111.74	32.47
44		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	50.39	19.24	38.18
45	35	2053-जिला प्रशासन	125.36	53.51	42.69
46		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	309.67	178.06	57.50
47		4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	71.25	25.16	35.31
48		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	914.42	158.23	17.30
49		5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	43.41	41.28	95.09
50	36	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	419.57	71.07	16.94
51		4215-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1486.83	602.40	40.52
52	37	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	266.43	75.93	28.50
53		3054-सड़क तथा सेतु	850.00	735.20	86.49
54	38	2030-स्टांप तथा निबंधन	72.18	18.82	26.07
55		2039-राज्य उत्पाद	72.53	21.06	29.04
56	40	2029-भू-राजस्व	676.06	191.03	28.26
57		4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	31.77	14.59	45.92
58	41	3054-सड़क तथा सेतु	1255.69	427.01	34.01
59		5054-सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	5290.64	652.47	12.33
60	42	2216-आवास	3741.00	2109.97	56.40
61		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	294.74	275.41	93.44
62		2505-ग्राम रोजगार	1953.00	640.83	32.81
63		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	708.47	92.11	13.00
64		4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	30.00	20.05	66.83
65	43	2203-तकनीकी शिक्षा	114.68	52.44	45.73
66		4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	38.21	16.04	41.98
67	44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1166.57	196.57	16.85

क्रम सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
68	45	2401-फसल कृषि-कर्म	156.93	23.26	14.82
69		2852-उद्योग	96.44	36.97	38.33
70		6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	167.62	166.99	99.62
71	46	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	141.05	30.51	21.63
72	47	2041-वाहन कर	48.82	10.04	20.57
73	48	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	525.62	218.81	41.63
74	48	2217-शहरी विकास	2681.53	1095.84	40.87
75		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	83.00	78.00	93.98
76	49	2701-मध्यम सिंचाई	106.31	25.42	23.91
77		4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1041.90	297.49	28.55
78		4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	159.29	106.43	66.82
79	50	2702-लघु सिंचाई	646.84	314.84	48.67
80		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	361.79	174.13	48.13
81	51	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5002.31	924.26	18.48
82		2236-पोषण	2410.48	1186.45	49.22
योग			66644.05	21275.26	31.92

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.11
(संदर्भ: कंडिका 2.3.10; पृष्ठ 42)
माह मार्च 2015 में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	वर्ष 2014-15 का कुल व्यय	माह मार्च 2015 में कुल व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3.54	2.62	74.01
2	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4.04	2.82	69.80
3	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	59.37	30.52	51.41
4	4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	17.73	9.07	51.16
5	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4153.00	2119.26	51.03
योग			4237.68	2164.29	51.07

(स्रोत: लेखे पर टिप्पणियाँ 2014-15, बिहार सरकार)

परिशिष्ट- 2.12
(संदर्भ: कडिका 2.5; पृष्ठ 42)
वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 10 करोड़ से ज्यादा (प्रत्येक मामले में) की
असमाशोधित राशि की विवरणी

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2011- संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल	122.20	105.21
2	2014- न्याय प्रशासन	603.10	324.49
3	2015- निर्वाचन	263.24	192.52
4	2029- भू-राजस्व	458.73	419.29
5	2030- स्टॉप तथा पंजीकरण	51.97	11.50
6	2039- राज्य उत्पाद	49.98	32.81
7	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	95.89	73.14
8	2041- वाहन पर कर	38.56	25.16
9	2049- ब्याज भुगतान	5048.38	5032.27
10	2051- लोक सेवा आयोग	53.80	34.25
11	2054- कोषागार एवं लेखा प्रशासन	82.86	78.35
12	2055- पुलिस	4619.72	1643.92
13	2056- कारा	179.15	11.15
14	2059- लोक निर्माण कार्य	393.90	381.66
15	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	380.34	18.94
16	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	11342.93	11340.93
17	2202- सामान्य शिक्षा	16114.52	11506.23
18	2203- तकनीकी शिक्षा	81.86	37.82
19	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	31.24	28.59
20	2205- कला एवं संस्कृति	39.54	31.72
21	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2915.37	2762.21
22	2211- परिवार कल्याण	371.34	350.70
23	2215- जलापूर्ति एवं सफाई	603.28	574.38
24	2216- आवास	1521.00	1436.51
25	2217- शहरी विकास	1415.85	1407.87
26	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2304.50	2010.37
27	2230- श्रम तथा रोजगार	118.73	68.97
28	2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4165.70	3870.20
29	2236- पोषण	1196.78	990.04
30	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	419.20	407.42
31	2401- फसल कृषि-कर्म	1832.21	563.96
32	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	29.97	29.90
33	2403- पशुपालन	156.06	57.58
34	2404- डेरी विकास	97.83	27.62
35	2405- मछली पालन	55.31	13.89
36	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	301.26	301.26
37	2408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार	218.30	218.30
38	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	589.33	21.64
39	2425- सहकारिता	136.70	59.81
40	2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	19.31	18.76
41	2505- ग्राम रोजगार	896.08	895.40
42	2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3152.06	3116.27
43	2700- मुख्य सिंचाई	323.71	76.03

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
44	2701- मध्यम सिंचाई	84.89	39.85
45	2702- लघु सिंचाई	272.35	134.82
46	2705- कमान क्षेत्र विकास	113.68	113.68
47	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	225.02	97.40
48	2801- बिजली	3752.94	409.39
49	2852- उद्योग	492.92	280.28
50	3054- सड़क तथा सेतु	907.22	855.51
51	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	59.38	40.52
52	3456- सिविल पूर्ति	440.53	433.44
53	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	21.65	16.65
54	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	219.15	93.87
55	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	985.66	985.66
56	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	523.19	508.56
57	4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	263.64	253.88
58	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	315.77	190.77
59	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	885.21	885.21
60	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	17.74	17.74
61	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	181.94	181.94
62	4401- फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	48.07	48.07
63	4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	23.14	23.14
64	4408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय	88.68	88.68
65	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	24.70	24.70
66	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	4647.83	4561.82
67	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	741.90	664.15
68	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	51.19	48.25
69	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	180.79	180.79
70	4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	450.07	450.07
71	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4153.00	2136.77
72	5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	18.49	18.49
73	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4176.75	4176.75
74	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	65.96	62.42
75	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	25.50	25.50
योग		87350.74	68657.81

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 43)

नित्य प्रयोजन के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी की विस्तृत विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/ राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	नये वाहनों का क्रय	0.30
2	2013	मंत्रिपरिषद्	दूरभाष तथा विद्युत पर व्यय	0.43
3	2014	न्याय प्रशासन	पारिवारिक न्यायालय की स्थापना	4.74
4			न्यायिक अकादमी के वाहन हेतु	0.09
5			मधेपुरा, बेतिया, मुंगेर बाँका, लखीसराय, सुपौल और अररिया के न्यायिक अधिकारियों के वाहन हेतु	1.00
6	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	दो नये कारों का क्रय	0.25
7	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	केन्द्रीय प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट	0.77
8	2049	ब्याज अदायगियाँ	एन.सी.डी.सी. का ब्याज	4.05
9	2051	लोक सेवा आयोग	बिहार कर्मचारी आयोग हेतु कार	0.32
10			प्रतियोगिता परीक्षा के कार्य संपादन	0.25
11	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	गृह (आरक्षी) के वाहन हेतु	0.07
12			मुख्यसचिव, बिहार के टाटा सफारी का क्रय	0.15
13			लोकायुक्त कमिटी का वेतन	0.20
14			पॉचर्वे वित्त आयोग के व्यय	1.00
15			वाहन का क्रय	0.40
16			संविदा कर्मचारियों का व्यय	0.08
17			मुख्यसचिव एवं प्रधानसचिव के कर्मचारियों का मानदेय	0.10
18			वित्त (अंकेक्षण) विभाग के नव नियुक्त अंकेक्षकों के प्रशिक्षण	0.02
19			2053	जिला प्रशासन
20	2055	पुलिस	ए.टी.एस. स्थापना	9.08
21			नाकॉटिक निवारण हेतु सामग्रियों का क्रय	0.23
22	2059	लोक निर्माण कार्य	एक स्कार्पियों एवं तीन एम्बेस्डर कार का क्रय	0.33
23	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	भागलपुर दंगा	0.35
24			बिहार भवन हेतु कार	0.98
25			मधुबनी गोलीकांड के स्थापना	0.23
26			सतर्कता अन्वेषण का वेतन	0.98
27			मधुबनी गोलीकांड आयोग	0.14
28			सिविल डीजी हेतु कार	0.06
29			मानव आयोग	0.47
30			प्रमंडलीय कर्मचारियों का वेतन	0.02
31			सेक्रेटरी जनरल के निजी कर्मचारियों का वेतन	0.95
32			कोशी बांध हेतु न्यायिक आयोग	0.05
33			फारबिसगंज गोलीकांड का स्थापना व्यय	0.60
34			भागलपुर दंगा कर्मचारियों का वेतन	0.32
35			पश्चिमी चंपारण में नवरंगियाथान का स्थापना व्यय	0.48
36	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में वेतन एवं छात्रवृत्ति का भुगतान	0.53
37			आई.जी.आई.एम.एस., पटना	51.00

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	प्रयोजन	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	एस सी, एस टी एवं बी सी कल्याण	0.75
39	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	वेतन भुगतान	0.20
40	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	हज पदाधिकारियों का वेतन	0.40
41			हज समिति हेतु अनुदान	0.30
42	2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हेतु वाहन	0.21
43			कल्याण मंत्री हेतु वाहन	0.11
44			प्रधान सचिव, श्रम संसाधन के सफारी स्टोरमैक्स का क्रय	0.13
45			अल्पसंख्यक समिति हेतु वाहन	0.14
46			मुख्यमंत्री के सलाहकार हेतु सफारी कार	0.14
47	2403	पशुपालन	दुग्ध, अण्डा इत्यादि उत्पादन	0.21
48			दुग्ध, अण्डा इत्यादि उत्पादन	0.21
49	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	वाल्मीकि ब्याघ्र परियोजना	0.46
50			कृषि वनरोपण	4.79
51	2408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार	धान कृषक के बोनस	200.00
52	2425	सहकारिता	पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी का भुगतान	0.25
53	2705	कमान क्षेत्र विकास	कमान क्षेत्र विकास में वेतन भुगतान	0.22
54	2801	बिजली	बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान	800.00
55	3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	गन्ना सचिव हेतु वाहन	0.08
56			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.05
57			विभागीय मंत्री हेतु दो कारें	0.24
58			लघु सिंचाई मंत्री हेतु सफारी कार	0.10
59	3456	सिविल पूर्ति	बी.पी.एल. परिवार हेतु खाद्य सामग्री	130.33
60			उपभोक्ता हेल्प लाइन	0.27
61			बिहार राज्य खाद्य कमिटी हेतु वेतन	0.92
62			कार्यालय व्यय एवं अन्य	0.20
63	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	राज भवन में विद्युत कार्य	1.60
64	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	आई.जी.आई.सी., पी.एम.सी.एच. भवन	4.60
65	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क	389.55
66			ग्रामीण सड़क हेतु जमा	44.87
67	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	एन.सी.डी.सी. का ब्याज	4.38
योग				1667.15

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.14
(संदर्भ: कडिका 2.7.2; पृष्ठ 45)
अनावश्यक पूरक प्रावधान (अनुदान सं. 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	2408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार-01-खाद्य-103-खाद्य संसाधन-0201-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	9.07	9.07	18.14	2.30
02	2408- खाद्य भंडारण तथा भंडागार-01-खाद्य-103-खाद्य संसाधन -0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	1.63	3.27	4.90	1.63
03	2408 खाद्य भंडारण तथा भंडागार -01-खाद्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.47	0.47	0.94	0.00
04	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103- हस्तकरघा-उद्योग-0103- हस्तकरघा विकास की योजना	18.05	17.97	36.02	0.01
05	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103- हस्तकरघा-उद्योग -0113- हस्तकरघा शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	18.60	0.10	18.70	1.47
06	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-103-हस्तकरघा-उद्योग-0226-राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	8.27	6.00	14.27	0.00
07	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103-हस्तकरघा -उद्योग-0326-राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	0.15	0.15	0.30	0.00
08	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-104-शिल्प उद्योग-0101-हस्तशिल्प का विकास	12.90	5.50	18.40	7.97
09	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-107-रेशम उत्पादन उद्योग -0204-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	1.44	1.44	0.00
10	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0103-जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	0.30	0.30	0.60	0.00
11	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग -00-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0207-रेशम-कीट पालन के अंतर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	0.14	0.38	0.52	0.00
12	2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0110- औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	77.82	7.40	85.22	8.40
13	2852-उद्योग-80- सामान्य-102- औद्योगिक उत्पादकता-0135- इंटरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	17.15	10.71	27.86	4.88
14	2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0159-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	26.00	56.00	82.00	0.00
15	2852-उद्योग -80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष	19.00	25.15	44.15	7.33
16	2852-उद्योग-80- सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0102-इंटरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	107.21	102.34	209.55	5.87
योग		316.76	246.25	563.01	39.86

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.7.4; पृष्ठ 46)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार - 01-खाद्य -103-खाद्य संसाधन-0201-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	18.14	6.77	1363	31/3/2015
2	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार - 01-खाद्य -103-खाद्य संसाधन -0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	4.89	1.64	1363	31/3/2015
3	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार - 01-खाद्य -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.95	0.47	1363	31/3/2015
4	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0001-उद्योग विभाग	2.90	0.44	1362	31/3/2015
5	4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-00-102- लघु उद्योग -0102-टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र	0.53	0.53	1367	31/3/2015
6	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय-0201-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आइ.डी.ई.)	12.07	12.07	1364	31/3/2015
7	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आइ.डी.ई.)	0.40	0.40	1364	31/3/2015
8	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आइ.डी.ई.)	0.10	0.10	1364	31/3/2015
9	4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्रों का विकास-050- भूमि-0101- औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन।	0.20	0.20	1366	31/3/2015
10	6885-उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.20	0.20	1365	31/3/2015
योग		40.38	22.82		

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2014-15 तथा विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)

परिशिष्ट- 2.16
(संदर्भ: कंडिका 2.7.5; पृष्ठ 46)
निधि के अनुपयोग के कारण शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं. 23)

		(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	लेखा शीर्ष	अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)
1	2408-खाद्य भंडारण तथा भांडागार -01-खाद्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.95
2	4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-00-102-लघु उद्योग -0102-टूल रूम प्रशिक्षण केन्द्र	0.53
3	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय -0201-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	12.07
4	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय-60-अन्य-102-खाद्य और पेय -0301-निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.40
5	4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301- निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए.एस.आई.डी.ई.)	0.10
6	6885-उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.20
योग		14.25

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2014-15)

परिशिष्ट- 2.17

(संदर्भ: कडिका 2.7.6; पृष्ठ 46)

महालेखाकार (ले. एवं हक.) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े
के बीच भिन्नता (अनुदान सं. 23)

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	शीर्ष	महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर (3)-(4)=(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-102-लघु उद्योग-0001- प्रदर्शन केंद्र	182751460	183125332	373872
2	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-103-हस्तकरघा-उद्योग-0001- हस्तकरघा विकास की योजना	12276449	12020435	256014
3	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-104-शिल्प उद्योग-0001-हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	32802866	33101210	298344
4	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-104-शिल्प उद्योग-0101- हस्तशिल्प का विकास	79708800	104708800	25000000
5	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-0001-रेशम का विकास	62883409	63381906	498497
6	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-00-107-रेशम उत्पादन उद्योग-0101-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	117230144	118078469	848325
7	2852-उद्योग -08-उपभोक्ता उद्योग -001-निदेशन तथा प्रशासन -0001-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	5435063	5257851	177212
8	2852-उद्योग-80- सामान्य -001-निदेशन तथा प्रशासन -0002-निदेशन	183150213	193294753	10144540
9	2852-उद्योग-80-सामान्य-003-औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण-0001-शिल्पी प्रशिक्षण केंद्र	16111602	16222579	110977
10	2852-उद्योग -80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता -0004- औद्योगिक समूहों की स्थापना	4261953	4910821	648868
11	2852-उद्योग -80-सामान्य -102-औद्योगिक उत्पादकता -0135- इंटरप्रेनियर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	48823790	61198790	12375000
12	2852-उद्योग -80-सामान्य-102- औद्योगिक उत्पादकता -0159-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	0	260000000	260000000
13	2852-उद्योग-80-सामान्य-102- औद्योगिक उत्पादकता -0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना	3663200289	3750000000	86799711
14	2852-उद्योग-80-सामान्य-102-औद्योगिक उत्पादकता-0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष	73327680	73328000	320
15	2852-उद्योग-80-सामान्य -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0102- इंटरप्रेनियर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	58707210	65107210	6400000
16	3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0001-उद्योग विभाग	24177082	24639369	462287
योग				404393967

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2014-15 तथा विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ)

परिशिष्ट- 2.18

(संदर्भ: कडिका 2.8.2; पृष्ठ 47)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0101-गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्य	0.01	0.01	226160	31/3/2015
2	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0104-इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.01	0.01	226162	31/3/2015
3	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0105-मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	2500.00	0.10	226164	31/3/2015
4	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0106-मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	1000.00	990.00	226165	31/3/2015
5	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	114480.00	64939.74	226166	31/3/2015
6	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	48488.43	20739.73	226167	31/3/2015
7	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	152928.00	99500.64	226169	31/3/2015
8	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	50976.00	22051.34	226170	31/3/2015
9	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	2592.00	2071.64	226172	31/3/2015
10	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	1135.55	703.83	226173	31/3/2015
11	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-001-निर्देशन एवं प्रशासन-0104-बिजनेस प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग	500.00	437.17	226174	31/3/2015
12	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-02-सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-101-लघु सिंचाई-0101-सुखाडोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	30.00	7.45	226176	31/3/2015

क्रम सं.	योजना का नाम (मुख्य लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
13	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-001-निदेशन एवं प्रशासन-0101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना	150.00	76.48	226177	31/3/2015
14	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- 06-स्वरोजगार कार्यक्रम-101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	12422.00	11099.29	226178	31/3/2015
15	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4675.00	4223.33	226179	31/3/2015
16	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4855.76	4855.76	226180	31/3/2015
17	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1928.50	1928.50	226181	31/3/2015
18	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	3516.24	3516.24	226182	31/3/2015
19	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1396.50	1396.50	226183	31/3/2015
20	2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम-701-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन कार्यक्रम-0102- मुख्यालय स्थापना	300.00	51.18	226184	31/3/2015
21	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-0201-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	132800.00	53146.36	226185	31/3/2015
22	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0201-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	25600.00	10245.08	226187	31/3/2015
23	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-796-जन जातीय क्षेत्र उप-योजना-0201- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	1600.00	640.32	226189	31/3/2015

क्रम सं.	योजना का नाम (मुख्य लेखा शीर्ष)	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
24	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-00-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना	34808.88	8710.68	226157	31/3/2015
25	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-00-102-सामुदायिक विकास-0116-बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य संपोषित परियोजना)	500.00	500.00	226192	31/3/2015
26	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0010-ग्रामीण विकास विभाग	863.00	240.94	226155	31/3/2015
27	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-00-102-सामुदायिक विकास -0102-बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (ई.ए.पी.)	500.00	500.00	226199	31/3/2015
28	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-00-103-ग्राम विकास-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य	2500.00	1504.69	226201	31/3/2015
योग		603045.88	314077.01		

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.19

(संदर्भ:कंडिका 2.8.2; पृष्ठ 47)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कुल प्रावधान का अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0101-गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्य	0.01	0.01	226160	31/3/2015
2	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0104-इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.01	0.01	226162	31/3/2015
3	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0105-मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	2500.00	0.10	226164	31/3/2015
4	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0106-मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	1000.00	990.00	226165	31/3/2015
5	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0202-इंदिरा आवास योजना	114480.00	64939.74	226166	31/3/2015
6	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0302-इंदिरा आवास योजना	48488.43	20739.73	226167	31/3/2015
7	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -0202-इंदिरा आवास योजना	152928.00	99500.64	226169	31/3/2015
8	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0302-इंदिरा आवास योजना	50976.00	22051.34	226170	31/3/2015
9	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0202-इंदिरा आवास योजना	2592.00	2071.64	226172	31/3/2015
10	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0302-इंदिरा आवास योजना	1135.55	703.83	226173	31/3/2015
11	2505-ग्राम रोजगार-01-राष्ट्रीय कार्यक्रम -701-राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम-0102- मुख्यालय स्थापना	300.00	51.18	226184	31/3/2015
12	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-0201-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	132800.00	53146.36	226185	31/3/2015
13	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0201-महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	25600.00	10245.08	226187	31/3/2015

परिशिष्ट

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्र सं.	दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
14	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0201- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	1600.00	640.32	226189	31/3/2015
योग		534400.00	275079.98		

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.20

(संदर्भ:कडिका 2.8.3; पृष्ठ 48)

निधि के अनुपयोग के कारण शत-प्रतिशत अभ्यर्पण (अनुदान सं. 42)

क्रम सं.	शीर्ष	(₹ लाख में) अभ्यर्पित राशि
(1)	(2)	(3)
1	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0101-गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) का कार्य	0.01
2	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0104-इंदिरा आवास योजना का अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग	0.01
3	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06 स्वरोजगार कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4855.76
4	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1928.50
5	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	3516.24
6	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	1396.50
7	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -00-102-सामुदायिक विकास-0116-बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य संपोषित परियोजना)	500.00
8	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-00-102-सामुदायिक विकास-0102-बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना(बाह्य संपोषित परियोजना)	500.00
योग		12697.02

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट- 2.21
(संदर्भ:कंडिका 2.8.4; पृष्ठ 48)
महालेखाकार (ले. एवं हक.) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े
के बीच भिन्नता (अनुदान सं. 42)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	425.28	458.40	33.12
2	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-105-इंदिरा आवास योजना-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	160.61	165.49	4.88
3	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0202-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	29.77	42.20	12.43
4	2216-आवास-03-ग्रामीण आवास-796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-0302-इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	11.34	18.32	6.98
5	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-02-सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-101-लघु सिंचाई-0101-सुखाडोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.24	0.23	0.01
6	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-001-निर्देशन एवं प्रशासन-0101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-मुख्यालय स्थापना	1.42	0.73	0.69
7	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-0202-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	12.68	13.23	0.55
8	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-06-स्वरोजगार कार्यक्रम-101-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-0302-राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन.आर.एल.एम.)	4.43	4.52	0.09
9	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-0201-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	540.13	796.54	256.41
10	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-0301-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	188.47	290.50	102.03
11	2505-ग्राम रोजगार-02-ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0301-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	0.00	56.00	56.00
12	2515-अन्य ग्राम विकास योजना-00-003-प्रशिक्षण-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	2.86	3.50	0.64
13	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम -00-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना	254.97	256.27	1.30
14	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ-00-090-सचिवालय-0010-ग्रामीण विकास विभाग	5.99	6.21	0.22
15	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-00-103-ग्रामीण विकास-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य	9.49	9.95	0.46
योग				475.81

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2014-15 तथा विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

परिशिष्ट- 3.1

(संदर्भ: कडिका 3.3, पृष्ठ 51)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें)
अधिनियम की धारा 14 के तहत चिह्नित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

क्रम सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला का नाम	अब तक लेखा परीक्षित
1	स्वास्थ्य	इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.एम.एस.)	पटना	फरवरी 2014
2		बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	पटना	मार्च 2012
3	शिक्षा	एल. एन. मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	पटना	मार्च 2015
4		बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	पटना	मार्च 2014
5		सिमलुतल्ला शिक्षा समिति	जमुई	दिसंबर 2012
6		ए. एन. सिन्हा सामाजिक शोध संस्थान	पटना	मार्च 2013
7	सामाजिक कल्याण	महिला विकास निगम	पटना	मार्च 2013
8		राज्य महिला आयोग	पटना	मार्च 2013
9		बिहार राज्य समाजिक कल्याण परिषद्	पटना	मार्च 2014
10		बिहार बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	पटना	दिसंबर 2012
11	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	बिहार महादलित विकास मिशन	पटना	मार्च 2014
12		राज्य महादलित आयोग	पटना	मार्च 2015
13		राज्य अनुसूचित जाति आयोग	पटना	मार्च 2015
14		राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग	पटना	दिसंबर 2012
15	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	पटना	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योजना बनाई
16	आपदा प्रबंधन	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन	पटना	अक्टूबर 2013
17	ऊर्जा	बिहार नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी (बी.आर.ई.डी.ए.), पटना	पटना	मार्च 2013
18	जल संसाधन	सोन कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (एस.सी.ए.डी.ए.), पटना	पटना	मार्च 2013
19		गंडक कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (जी.सी.ए.डी.ए.), मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	अप्रैल 2015
20		कोशी कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (के.सी.ए.डी.ए.), सहरसा	सहरसा	मार्च 2013
21		किऊल बदुआ चान्दन कमांड क्षेत्रीय विकास एजेंसी (एस.सी.ए.डी.ए.), भागलपुर	भागलपुर	नवंबर 2014
22		बिहार औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पटना	पटना	मार्च 2014
23	संरचना विकास प्राधिकार, पटना	पटना	फरवरी 2015	

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, बिहार, पटना के आर्थिक और सामाजिक प्रक्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट- 3.2

(संदर्भ: कडिका 3.4, पृष्ठ 51)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

क्रम सं.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपस्थापन	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10 तक	2009-10	12/9/2013	2009-10	21/4/2014	दिनांक: 23/12/2009 के पत्र के अनुसार वर्ष 2001-02 तक का पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विभाग द्वारा विधान मंडल में को उपस्थापित किया गया	तीन वर्ष दो माह	वर्ष 2010-11 से अंकेक्षण के सुपुर्दगी हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को पत्र सं. इ.एस. (मु.)/2014-15/287 दिनांक: 4/7/2014 द्वारा पत्र लिखा गया था।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	--	--	2008-09	27/8/2014	अभी तक सूचना अप्राप्त	--	शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार द्वारा जारी किये गये सुपुर्दगी पत्र पर खातों का अंकेक्षण वर्ष 2004-05 से 2008-09 का किया गया। आगे की सुपुर्दगी के लिए शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को पत्र निर्गत किया गया।
3	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2012-13	1/8/2014	2012-13	24/4/2015	सूचना प्राप्त नहीं हुई	एक वर्ष एक महीना	पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विलंब से प्राप्ति के कारण समय से जारी नहीं किया गया।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर	2011-12 तक	2010-11	30/3/2012	2010-11	11/11/2014 (2010-11 वर्ष के लिए)	वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2002-03 तक का पृथक् लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधान मंडल में उपस्थान हेतु दिनांक: 29/7/2009 को भेजा गया था	नौ माह एक वर्ष चार माह	वर्ष 2012-13 के अंकेक्षण की सुपुर्दगी के लिए बिहार सरकार तथा उप कुलपति आर. ए.यू. पूसा, समस्तीपुर के पत्र संख्या: ई. एस. (मुख्यालय/ आर.ए.यू./2015-16/492-493 दिनांक- 12/8/2015 द्वारा पत्र लिखा गया है।

(स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय, बिहार, पटना के सामान्य, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी)

परिशिष्ट- 3.3
(संदर्भ: कडिका 3.8, पृष्ठ 54)
लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्ति	लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के तहत प्राप्ति की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	277.13	176.84	63.81
2	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	30.22	15.95	52.78
3	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	4.36	2.30	52.75
4	0220	सूचना एवं प्रचार	0.40	0.22	55.00
5	0230	श्रम तथा रोजगार	8.65	6.20	71.68
6	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.02	0.03	150.00#
7	0250	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.0004	0.0004	100.00
8	0404	डेयरी विकास	0.0003	0.0003	100.00
9	0506	भूमि सुधार	0.14	0.16	114.29#
10	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	29.37	20.02	68.16
11	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.05	0.04	80.00
12	0852	उद्योग	0.10	0.10	100.00
13	1053	नागर विमानन	4.95	4.77	96.36
14	1054	सड़क तथा सेतु	54.52	54.56	100.07#
15	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.003	0.003	100.00
16	1452	पर्यटन	1.34	1.34	100.00
17	1456	सिविल पूर्ति	0.14	0.14	100.00

मुख्य शीर्ष-0235, 0506 तथा 1054 अंतर्गत क्रमशः ₹ 0.01 करोड़, ₹ 0.02 करोड़ और ₹ 0.04 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। इसलिए प्रतिशत 100 से अधिक है।
(स्रोत: वर्ष 2014-15 के लिए लेखे की टिप्पणियाँ)